Supplementary Demands. There is never a debate on Appropriation Bill.

The question is :

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1967-68, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That Clauses 2 and 3 and the Schedule stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 and 3 and the Schedule were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): We are against the long Title. It should be 'Misappropriation' and not 'Appropriation'.

SHRI K. C. PANT : I move :

"That the Bill be passed."

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

15.40 HRS.

DELHI MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT) BILL

MR. DEPUTY-SPEAKER : We shall now take up the Delhi Municipal Corporation (Amendment) Bill.

Two hours have been allotted for this Bill. How much time shall we have for the general discussion and how much time for the other stages ?

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : उपाध्यक्ष महोदय, बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी में यह बात हुई थी कि हम इस पर दो घंटे रखते हैं और दिल्ली के हर सदस्य को इस पर बोलने का मौका दिया जायेगा । वैसे इसमें कोई बहुत ज्यादा बात तो है नहीं । इसलिये चाहे जितना समय रक्खा जाये ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : I think we may have 1½ hours for the general discussion and the balance of the time for the other stages.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : On behalf of Shri Y. B. Chavan, I beg to move :

"That the Bill further to amend the Delhi Municipal Corporation Act, 1957, be taken into consideration."

As hon. Members are aware, the Delhi Municipal Corporation (Amendment) Ordinance was issued on the 3rd February. The House also knows the reason why we had to issue an ordinance to amend the Act.

15.41 HRS.

[SHRI BAL RAJ MADHOK *in the Chair*]

I had laid a statement on the Table of the House giving the reasons for the enactment of an amending ordinance and why it became necessary to issue it so close to the session of Parliament.

The state of the finances of the Delhi Municipal Corporation is well known to this House because this matter has been repeatedly brought up here and we have had occasion to discuss it several times in the past. There is a recurring deficit in the budget of the Delhi Municipal Corporation and we felt that it was necessary to give the power of graduated taxation to the Municipal Corporation here on the same basis and same law which give such powers to the Municipal Corporations of Bombay and Calcutta. Accordingly, this Ordinance was promulgated, and now the Delhi Municipal Corporation would have the

[SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA]

authority to levy a graduated scale of general taxes, and the ceiling has been raised from 20 to 30 per cent.

According to the requirement we had also consulted the Metropolitan Council. They also considered this measure and they have given their approval and after such approval was obtained we have brought forward this measure.

Since it is non-controversial and non-political in character, I am sure the House will give its unanimous approval to this Bill.

MR. CHAIRMAN : Motion moved :

"That the Bill further to amend the Delhi Municipal Corporation Act, 1957, be taken into consideration."

इस बिल पर दिल्ली के सभी सदस्य बोलने वाले हैं और कुछ और दलों के सदस्य भी हैं जो कि बोलना चाहते हैं । इस लिये मैं चाहूंगा कि लोग थोड़ा ही समय लें ताकि अधिक लोग इसमें अकोमोडेड हो सकें । श्री कंवर लाल गुप्त ।

श्री कंवर लाल गुप्त : सभापति महोदय, जो विधेयक माननीय मंत्री महोदय ने सदन के सामने रक्खा है, उस का मैं समर्थन करता हूं । इस के साथ-साथ मैं कुछ बातें इस आशा के साथ कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय उन के ऊपर विशेष ध्यान देंगे ।

जो विधेयक मंत्री महोदय ने सदन के सामने रक्खा है वह एक पीसमील लेजिस्लेशन है । इस में केवल एक चीज के बारे में कहा गया है । इस से पहले के जो विधेयक हैं नगर निगम के बारे में, जो इस से पहले तीसरी लोक सभा में इसी सदन में आये, उस समय सरकार बड़ी उत्सुक थी कि यह विधेयक पास होना चाहिये जिस के अन्दर मेयर इन कौंसिल का जिक्र किया गया था और कहा गया था कि मेयर के साथ दो तीन लोगों की कौंसिल होगी, और आज जो अधिकार कमिश्नर को है वह समाप्त होगा । मेयर ही सब कर्ताधर्ता होगा । वह तीसरी लोक सभा में आया लेकिन किसी कारण से वह उस में पास नहीं हो सका । जिस समय यह आया था उस समय कांग्रेस की मैजारिटी थी दिल्ली कारपोरेशन में । लेकिन सौभाग्य से इस देश के निवासियों के लिये, विशेषकर दिल्ली के लिये, दिल्ली से कांग्रेस खत्म हो गई । उस के बाद दिल्ली प्रशासन और दिल्ली नगर निगम के बार-बार कहने के बाद भी यह विधेयक नहीं आ पाया । दिल्ली मेट्रोपौलिटन कौंसिल ने यह विधेयक फरवरी, 1968 में पास किया और हमारे चीफ एग्जिक्यूटिव कौंसिलर ने बार-बार यह कहा कि इस विधेयक को जल्दी लाना चाहिये । लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारी केन्द्रीय सरकार पालिटिक्स से खेल रही है और जो विधेयक बहुत पहले आना चाहिये था उस के अब तक आने का आसार नजर नहीं आता । हालांकि इसका कोई कारण नहीं है ।

इसी तरह से इंटरटेनमेंट टैक्स (अमेंडमेंट) बिल है, मोटर वेहिकल्स बिल है । यह बिल अगर यह सदन जल्दी से पास कर दे तो उस का परिणाम यह होगा कि एक महीने में 8 लाख रु० की आमदनी नगर निगम को हो सकेगी । लेकिन दुःख की बात है कि जितने विधेयक पड़े हैं उन के ऊपर सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है । यह इस लिये नहीं कि सम्भव नहीं है । इसका एक यही कारण है । जैसा अभी मंत्री महोदय ने कहा, कारपोरेशन की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है । जब नये चुनाव के बाद हम लोगों, यानी जन संघ के हाथ में कारपोरेशन आया, उस के शुरू से ही 7 करोड़ रु० का घाटा है । आज तक कांग्रेस का ही राज्य कारपोरेशन के ऊपर रहा । कांग्रेस मेजारिटी में रही और उन्होंने इतना गोलमाल और मिस रूल किया कि 7 करोड़ रु० का घाटा कारपोरेशन पर हो गया । आज इस केन्द्रीय सरकार की यह नीति है कि कारपोरेशन करीब-करीब दिवालियापन की तरफ जा रहा है । आज किसी न किसी

तरह से यह देखने की कोशिश हो रही है कि अड़चनें पैदा कर के कैसे उस का आर्थिक ढांचा टूट सकता है ताकि उन लोगों को यह मौका मिल जाय कि कारपोरेशन को हम अपने ढंग से न चला सकें और उन को उस को सुपरसीड करने का अख्त्यार मिल जाये । यह कैल्कुलेटेड और प्री-प्लैन्ड मूव है, यह कांस्पिरेसी है, जो कि दिल्ली की लोकल कांग्रेस कमेटी और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में है, कि किसी न किसी तरीके से इस कारपोरेशन को खत्म किया जाये और उस के हाथ में ऐसा कोई काम न हो जिस से वह दिल्ली के लोगों की सेवा कर सके । उस का आर्थिक ढांचा, जिसका पहले कांग्रेस वालों ने दिवाला निकाल दिया था, कहीं सुधर न जाये। इस प्रकार की सारी कार्रवाई होती है ।

मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जो कांग्रेस पार्टी वहां पर है वह हर प्रकार से अफसरों को डिमारलाइज कर रही है। आप ने पढ़ा होगा कि जो वहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वह कमिश्नर के लिये कहते हैं कि उन को नहीं रहने दिया जायेगा । कांग्रेस पार्टी के नेता और एक जिम्मेदार व्यक्ति इस तरह से कारपोरेशन के कमिश्नर के लिये कहते हैं कि उनको वहां नहीं रहने दिया जायेगा । मैं आप के जरिये से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार की यह नीति है, क्या उन्होंने अपने पार्टी के लीडर से कहा है कि जो अफसर उन की हां में हां न मिलाये उस को नहीं रहने दिया जायेगा । दिल्ली नगर निगम में ? मैं कहना चाहता हूं कि यह बहुत गलत परम्परा होगी ।

इस के साथ साथ जनसंघ के लोगों को खरीदने की भी कोशिश हो रही है । जैसे सब राज्यों में हो रहा है, सब जगह गैर कांग्रेसी सरकारों को उखाड़ने की कोशिश हो रही है, उसी तरह से दिल्ली कांग्रेस ने भी अभी तक अपने आप को रिकंसाइल नहीं किया है । आज जो करारी हार उनकी हुई है और जो चपत पड़ी है उस को वह भूले नहीं हैं, उस से अभी वह सम्भल नहीं पाये हैं, और किस ढंग से हम को उजाड़ कर आगे जा सकते हैं इस की कोशिश कर रहे हैं । कोशिश करने में हमें बिल्कुल ऐतराज नहीं, लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि कोई वैधानिक तरीका होना चाहिये इस के लिये, लेकिन डूबियस मेथड्स से, बैक-डोर मेथड्स से और साजिश बना कर के सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ऐसा किया जायेगा तो मैं समझता हूं कि यह डिमाक्रेसी के ऊपर एक जबर्दस्त चोट होगी और उस से देश में अच्छा परम्परा नहीं बढ़ेगी ।

उपराज्यपाल से रिपोर्ट मांगी गई और उन्होंने यह रिपोर्ट दी कि कारपोरेशन का ढांचा बहुत खराब है, इसमें यह गड़बड़ है, वह गड़बड़ है, इसलिये इसको सुपरसीड कर दिया जाए । मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जितने भी उदाहरण उन्होंने दिये हैं इसके पक्ष में वे इस चुनाव के पहले के उदाहरण हैं । लेकिन सुपरसेशन की बात तब की जा रही है जब जनसंघ पावर में आ गया है, जब उसका वहां बहुमत हो गया है । एक वातावरण बनाया जा रहा है ताकि इस पर वार किया जा सके ।

प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री बार बार कह चुके हैं कि कांग्रेसी और गैर-कांग्रेसी राज्यों में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है । परसों वित्त मंत्री जी तथा उपप्रधान मंत्री जी ने कहा कि वह जानना चाहते हैं ऐसा एक भी उदाहरण जिस में इस प्रकार से भेदभाव कांग्रेसी और गैर कांग्रेसी राज्यों में किया गया है । मैं उनके सामने तीन उदाहरण पेश करना चाहता हूं । मुझे इनको सुन कर वह बतायें कि क्या जनसंघ के शासन में और जब कांग्रेस का यहां दिल्ली नगर निगम में शासन था पोलिटिकल डिसक्रिमिनेशन किया गया है या नहीं किया गया है ।

[श्री कंवर लाल गुप्त]

पहला उदाहरण मैं देता हूं । नगर निगम को हर साल एडहाक ग्रांट पचास लाख की मिला करती थी । यह 1961 तक मिलती रही । पिछले साल तक एक मैचिंग ग्रांट देते रहे एड हाक ग्रांट की जगह । लेकिन जब से जन संघ वहां शासन में आया है तब से मैचिंग ग्रांट को खत्म कर दिया गया है । कोई इसका कारण नहीं बताया गया है । आपको मालूम ही है कि सात करोड़ का कर्जा कांग्रेस वाले जनसंघ की कमर पर लाद कर गए हैं । जो सहायता आप मैचिंग ग्रांट के तौर पर पहले दिया करते थे उसको आपने क्यों बन्द कर दिया, यह तो आप बतलायें । क्या यह पोलिटिकल डिसक्रिमिनेशन नहीं है । मैं चार्ज करता हूं कि सैंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और दिल्ली कारपोरेशन के साथ पोलिटिकल डिसक्रिमिनेशन कर रही है, सौतेली मां की तरह से बरताव कर रही है ।

इतना ही नहीं । यहां पर एक रेड्डी कमीशन बना था । उसने फरवरी 1968 में अपनी रिपोर्ट दी । उस रिपोर्ट को पब्लिश भी किया गया है । जब यह देखा गया कि यह रिपोर्ट तो जनसंघ के हक में जा रही है और यह पता चला कि रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई है कि दिल्ली नगर निगम को दो करोड़ रुपया एक दम दे दिया जाना चाहिये तो इन्होंने अपने अफसरों को कहा कि इस में आप डाइसेंटिंग नोट दो। उन्होंने ऐसा ही किया । उसके बाद यह कहा गया कि इस रिपोर्ट को दुबारा देखा जाए और इस बीच में एक मोरारका कमेटी बना दी गई । इतने दिन उस कमेटी को बने हुए हो गए हैं लेकिन एक साल के बाद अब एक मीटिंग उसकी हुई है । इस तरह से डिलेइंग टैक्टिक्स जान बूझ कर करवाये जा रहे हैं ताकि सैंटर को जो ग्रांट देनी पड़ती है वह उसको न देनी पड़े और कारपोरेशन अपनी मौत आप मर जाये ।

एक तीसरा उदाहरण मैं देता हूं । दो साल पहले तक आप प्लान की ग्रांट के अन्दर दिल्ली नगर निगम को शत प्रतिशत सहायता देते थे । पिछले साल आपने दो करोड़ रुपया प्लान की ग्रांट में दिया । इस साल केवल सत्तर लाख दिया दो करोड़ के बजाय । प्लान की ग्रांट आपने शत प्रतिशत के बजाय 66 प्रतिशत दी । क्यों आपने इस को कम किया ? कोई जवाब नहीं है ।

दिल्ली में आप कितना इनकम टैक्स वसूल करते हैं, दिल्ली से आपको कितना लाभ होता है ? अगर उस हिसाब से भी दिल्ली प्रशासन और दिल्ली नगर निगम को पैसा आपकी तरफ से दे दिया जाए तो मैं समझता हूं कि हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार की एड की जरूरत नहीं है । लेकिन दिल्ली में जो चीज पैदा होती है, जो रेवेन्यू होता है वह तो आप अपनी जेब में रखते ह लेकिन जब देने की बारी आती है तो उसके साथ आप डिसक्रिमिनेशन करते हैं । देश में अगर प्रजातंत्र को रहना है, अगर सही मानों में देश में अच्छी परम्परायें आपको डालनी हैं तो वे इस तरह से नहीं पड़ सकती हैं । इस प्रकार का तब आपको भेदभाव नहीं करना चाहिये । पार्टियां आएंगी और पार्टियां जायेंगी लेकिन आपको इस ढंग से बरताव करना चाहिये जो डेमोक्रेसी की शान के शायां हो ।

जब से हम पावर में आए हैं हमने कोशिश की है कि नगर निगम की हालत को सुधारा जाए । आपको मालूम ही होगा कि इसी साल हमने करीब चार करोड़ रुपये के एडीशनल रेवेन्यू के साधन ढूंढे हैं । और चार करोड़ रुपये की नई आमदनी कारपोरेशन को इस साल होगी । इसके मुकाबले में आप देखें कि 1958 से ले कर 1967 तक नौ दस बरसों में एक भी पैसा कांग्रेस वालों ने एडीशनल रेवेन्यू की शक्ल में पैदा नहीं किया था ।. हमने चार करोड़ रुपया इस साल टर्मिनल टैक्स से, हाउस टैक्स से

तथा अन्य साधनों से और पैदा किया है । जहां तक रीयलाइजेशन की बात है तीन करोड़ रुपये के एरियर्ज थे और उन में से एक साल में पौने दो करोड़ रुपये के हमने रीयलाइज़ किए हैं । यह एक जबर्दस्त अचीवमेंट है और इसके लिए जन संघ को शाबाश दी जा सकती है। जो पुराने एरियर्ज थे उनमें से पहले 52 परसेंट रीयलाइज़ होते थे और अब 65 परसेंट रीयलाइज़ हुए हैं ।

हम ने एडमिनिस्ट्रेशन पर एक्सपैंडीचर जो होता था उसको बीस लाख रुपया कम किया है । हम ने डी सीज़ की पोस्ट्स को कम कर दिया है। कोई नई भरती नहीं की । पहले कांग्रेस के राज में 64 साल तक लोगों को रिटायर नहीं किया जाता था लेकिन इस पिछले एक साल में ऐसा एक भी इंस्टैंस नहीं है कि जिस में 58 साल से अधिक की उम्र वाले किसी अधिकारी को रखा गया हो ।

हमने सड़कों के काम को, डी टी यू के काम को अच्छी तरह से किया है । दिल्ली के लोग उसको आज भी याद करते हैं । आप अगर हमारा गला घोटेंगे और हमें पैसा नहीं देंगे और लोकल कांग्रेस लीडर्ज से मिल कर कोशिश करेंगे कि कारपोरेशन न चले तो मैं समझता हूं कि यह दिल्ली शहर की एक बदकिस्मती ही होगी ।

अन्त में मैं दो तीन मांगें आपके सामने पेश करना चाहता हूं । सात करोड़ रुपये का कर्जा दिल्ली नगर निगम पर आया शुरू में । मैं मांग करता हूं कि एड हाक ग्रांट आप तीन करोड़ रुपये की शुरू में ही इस बात का इंतज़ाम किये बगैर कि मोरारका कमेटी क्या सिफारिशें करती हैं, नगर निगम को दे दें । इसका कारण यह है कि रेड्डी कमीशन की रिपोर्ट आपके पास है । इसी प्रकार से सात करोड़ का घाटा शुरू से ही हमारे ऊपर आया है । यह तो आपको मालूम ही है कि अगर दिल्ली को एक आदर्श नगरी बनाना है तो दिल्ली के बारे में विशेष जिम्मेवारी सेंटर की है । यहां पर फ्लोटिंग पापुलेशन है । दो लाख आदमी रोजाना आते हैं । चंकि सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर है इस लिए उसकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा इसके बारे में हो जाती है । यहां पर जो गवर्नमेंट प्रापर्टी है उस पर हाउस टैक्स नहीं है । अगर गवर्नमेंट प्रापर्टी के ऊपर हाउस टैक्स नहीं लगना है तो दूसरी बात मैं यह कहूंगा कि कुछ न कुछ मुआवजा आपको दिल्ली कारपोरेशन को इसके लिए भी देना चाहिये ।

मैचिंग ग्रांट जो आपने बन्द करदी है उसको आप फिर चालू करें । इसको आपने हमारे पावर में आते ही बन्द कर दिया था । इस तरह का जो डिसक्रिमिनेशन हमारे साथ किया जा रहा है यह बन्द होना चाहिये ।

प्लान ग्रांट आप शत प्रतिशत देते थे और अब आप 66 प्रतिशत ही इस साल से देने लग गए हैं । मेरी मांग है कि इसको आपको शत प्रतिशत देना चाहिये । अभी आपने जो प्लान का रुपया काट दिया है, उसके बारे में मेरी मांग यह है कि पहले साल आपने जो दिया था, जितना दिया था उतना ही अब भी देना चाहिये ।

हो सकता है कि आप कहें कि आप ने किसी तरह का डिसक्रिमिनेशन कांग्रेसी और गैर कांग्रेसी राज्यों के साथ नहीं किया है। लेकिन आज कांग्रेसी भी कुछ राज्य देश में हैं और गैर कांग्रेसी भी कुछ राज्य हैं । इस वास्ते आपको कोई न कोई ऐसी मशीनरी निकालनी होगी कि अगर कोई राज्य सरकार यह कहे कि हमारे साथ डिसक्रिमिनेशन हो रहा है तो वह मशीनरी उसकी जांच पड़ताल करे । यह कोई इम्पार्शल मशीनरी होनी चाहिये । इसके पास इस तरह के केसिस रैफर हो सकते हैं और वह मशीनरी देख सकती है कि आया डिसक्रिमिनेशन हुआ है या नहीं हुआ है । अगर वह इस

[श्री कंवर लाल गुप्त]

नतीजे पर पहुंचती है कि हुआ है तो वह केन्द्र को बाध्य कर सके कि उस डिसक्रिमिनेशन को वह दूर करे।

16 Hrs.

इस विधेयक का जहां तक सम्बन्ध है, मैं इसका समर्थन करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि सही मानों में अगर आपको दिल्ली को एक आदर्श नगरी बनाना है, लोगों को अगर नागरिक सुविधायें देना है, तो मेरे जो सुझाव हैं उन पर आप विचार करें और पोलिटिकल डिसक्रिमिनेशन जो हो रहा है इसको दूर करें। अफसरों को डिमारेलाइज़ करने की जो कलकुलेटिड एटेम्प्ट है, जोकि आपकी पार्टी के लीडरों की तरफ से की जा रही है उनको आप कम से कम इतना तो अवश्य कहें कि वे ऐसा न करें और अपनी तरफ से आप यह कहें कि आपकी तरफ से कोई भी इस प्रकार के आदेश उनको नहीं दिये गये हैं।

जो अफ़सर काम कर रहे हैं, वे अपने मेरिट्स पर काम करें। न वे जनसंघ का लिहाज़ करें और न कांग्रेस का लिहाज़ करें। जो उन को ठीक लगता है, वे उस के मुताबिक काम करें। उन को इस प्रकार की खुली छूट होनी चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

SHRI LOBO PRABHU (Udipi): Mr. Chairman, Sir, I am concerned—my party is concerned—with the tax-payer and the consumer. I propose therefore, to examine this Bill from that point of view. First of all, I must confess to being mystified about this Bill. The ordinance was brought forward on the third of February, just six days before Parliament met. It is a principle, certainly a convention, that when a piece of legislation is possible shortly Government should not resort to an ordinance. I would like the Minister of State to please explain why they disregarded this convention.

Secondly, I find that on the 11th January, the Standing Committee prepared a budget for the Corporation which showed a surplus of Rs. 5 lakhs after increasing the income by about Rs. 3 crores. This was a budget which was prepared on the basis of the report of the officials and the Commissioner and was approved by the Standing Committee. This budget involved no new taxation requiring the approval of Government. There was taxation in the form of terminal duties, entertainment tax and property tax. Now, what circumstances arose between that time and the 3rd of February that Government suddenly found it necessary to think that an ordinance should be promulgated in order to permit the Corporation to raise the tax ceiling from 20 to 30 per cent ? An explanation is due to the tax-payer as to why, when the Corporation itself did not want to raise the tax, when it could balance the budget, Government itself gratuitously passed an ordinance and is now asking us to pass a Bill for raising this ceiling.

In respect of the ceiling, the hon. Minister has justified himself by reference to the Corporations of Bombay and Calcutta. It is 33 per cent in Calcutta and 30 per cent in Bombay, and both are on a graduated scale. It is a moot point whether, consistent with article 14, on the same kind of property you can make a differentiation in the rates of taxes. It is possible that this progression in tax has existed in Calcutta and Bombay Corporations, but here when we are passing a new legislation, it is incumbent on Government to examine if in this variety of taxes there is progression possible because the tax is not related to the size of the amount paid, but tax is related to the property concerned which does not change its nature because it is larger or smaller. I would like the Minister to please examine that point.

Talking for the taxpayer, thinking of his difficulties thinking of the incidence which will fall on him, I wonder if, in giving a blanket permission to raise the tax to 30 per cent, Government has at all considered the various classes which will be affected. In the first place, it is not necessary to make this big jump from 20 to 30 per cent. As far as I can find out, the taxes never touched the ceiling of 20 per cent. Even for commercial property, the Standing Committee raised

the rate from 11 to 16 per cent. Was it necessary in the circumstances to fix a ceiling both for general property and commercial houses at 30 per cent?

Even if it was necessary to do so, was it necessary to lump general property and commercial houses? The Corporation itself has made a distinction and kept the ceiling of 20 per cent in respect of general property and raised it to 26 per cent only in respect of commercial houses. There is, therefore, even now a chance for the Government to amend the Bill and to follow this distinction of 20 and 26 per cent. I am pressing for this distinction because the householders of Delhi are already oppressed by many taxes. Mr. K. L. Gupta made a reference to the exemption given to government building. In the circumstances, others have a justifiable grievance that they are going to be subjected at once to a step increase and sooner than later to a rate rising up to 30 per cent from about 11 per cent.

The tax-payers, as I see, fall into three classes. First are those whose rents are subjected to leases. They will suffer in case their leases do not provide for an increase in rent equal to the increase in taxes. It is not fair that when they were in the confidence that the tax limits were 20 and they failed to make provision for passing on the increased tax on the occupier, they are now called upon to pay this tax. I am not speaking only because of the Swatantra Party's identification with the propertied class. I am thinking of the larger interests of house construction in Delhi. If house-owners are going to be subjected to such disturbances in their expectations, the large housing programme of this city is going to be affected. This is not in the interests of the Government and of the people. There should be something to assure the person who invests in a house a due return according to legitimate expectations.

Secondly, there are those who are subject to rent control, who cannot increase their rents which are already low and which go back to 1937. Is it the intention of the Government that the rents should be nearly completely exhausted by the increased taxes? Thirdly, there is the larger class of people occupying their own houses. This is going to put an additional burden on them. They are not very rich people, particularly those living in old Delhi. Taxes which go down to the very low limit of Rs. 1800 ratable value are going to fall on people who may find that an unbearable burden put on them.

The total effect of all these taxes is to make living dearer and to have an inflationary effect.

In respect of taxes on commercial houses, one has to realise that they are already paying a multiplicity of taxes—sales tax, excise, incometax, etc. If on the top of it there is this addition, they will only pass it on to the common man; they are not going to pay it themselves. With all these factors in view, I would castigate the Government for giving a blanket permission to the Corporation to increase these taxes to 30 per cent. I would like that even at this stage, Government may freeze the taxes at the limits already imposed by the Corporation, *i.e.* 26 per cent for commercial houses and 20 per cent for ordinary houses. If they do that, then they will be representing the people as they claim themselves to be, and not be just afraid of political accusations, from a rival party which is in power. They must do what is just. They must serve the common man. Then they will be above reproach and then their taxation will be justified.

श्री महाराज सिंह भारती (मेरठ) : उपाध्यक्ष महोदय, जो यह टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव आया है । इस विधेयक में मैं इस का विरोध करना चाहता हुं और विरोध इसलिए कि हमेशा खर्चा बढ़ता चला जाये और आमदनी उसके हिसाब से बढ़ाही जाये तो आखिर कहां जा कर तो उस की एक सीमा आ ही जायगी । केन्द्रीय सरकार से लेकर और दिल्ली नगर निगम तक दोनों उसी में फंसी हुई हैं । सन् 1950 में योजना से पहले पूरे देश के बजट और सूबों के और दिल्ली के जोड़े जायें तो एक हजार करोड़ के करीब थे । आज वह 8 हजार करोड़ के करीब पहुंच गए हैं । मुल्क की आमदनी

[श्री महाराज सिंह भारती]

उतनी नहीं बढ़ी । वही हालत दिल्ली की भी है । कहां किफायतशारी की जाय कहां न की जाय उस में अमीर आदमी और गरीब आदमी का दृष्टिकोण हमेशा अलग अलग हुआ करता है । अमीर आदमी सोचेगा तो और ढंग से सोचेगा और गरीब आदमी सोचेगा तो और ढंग से सोचेगा । गरीब का दृष्टिकोण न कांग्रेस अपना पायी और न अब जनसंघ अपना पा रहा है । जैसे अमीर आदमी और गरीब आदमी के बजट में फर्क होता है । ऐसे ही अमीर मुल्क और गरीब मुल्क के बजट में फर्क होता है । आज चाहे कांग्रेस के लोग हों, केन्द्रीय सरकार हो या कारपोरेशन के लोग हों दिल्ली के बाबत जब कल्पना करते हैं तो पेरिस, वाशिंगटन या न्यूयार्क बनाने की कल्पना करते हैं । दिल्ली को हिन्दुस्तान की पृष्ठभूमि में बनाने की कल्पना लोग नहीं करते हैं । नतीजा यह होता है कि ज्यादा खर्चा होता है अमीरों की तरह से और आमदनी गरीबों की ही है । चुनांचे वह हिसाब किताब ठीक नहीं बैठ पाता है और जनतंत्र में खास तौर से बहुत सावधान होने की जरूरत होती है ।

बढ़त बढ़त सम्पत्ति सलिल मन सरोज
बढ़ जाय ।
घटत घटत फिर ना घटे बरु समूल
कुम्हिलाय ।।

आमदनी बढ़ने के साथ खर्च बढ़ा देना बड़ा आसान होता है लेकिन आमदनी अगर घटने लगे तो खर्च घटता नहीं है । जनतंत्र में आप खर्चे बढ़ा सकते हैं लेकिन उन खर्चों को घटाना बहुत आसान नहीं हुआ करता है । इसीलिए फंस गए । कांग्रेस के इतने दिनों के राज्य के वरासत में कई करोड़ रुपये का ऋण मिला और आज भी किफायतशारी कहां हो, कैसे हो इस में अमीर के ही दृष्टिकोण से काम लिया जा रहा है । गरीब आदमी का अगर दृष्टिकोण देखा जाय तो सब से पहले जरूरत पड़ती है मकान की जिस में वह रह सके । जिन मकानों पर आप टैक्स बढ़ाने जा रहे हैं और 30 फीसदी तक की इजाजत मांग रहे हैं शहर देहात सब के लिए उस मकान के लिए इंतजाम क्या किया है ? पहले से ज्यादा स्लम बने हैं । पहले से ज्यादा झोंपड़ियां बनी हैं । गरीब आदमी के रहने के लिए अगर दिल्ली में सिर्फ एक कमरा किराये पर लिया जाये तो सौ रुपये से कम किराये पर एक कमरा नहीं मिलता है । कैसे कोई आदमी रहेगा ? सौ रुपये जिस की आमदनी हो वह सौ रुपये किराया कहां से देगा ? लेकिन फिर भी कोई योजना ऐसी नहीं बनाई जाती जिसमें गरीब लोग जिनका प्रतिशत दिल्ली के अन्दर 80 से कम नहीं है उन लोगों के लिए एक कमरे के फ्लैट बनाये जायं चाहे कई-कई मंजिल के बनाए जायें, चाहे कारपोरेशन बनाए चाहे केन्द्रीय सरकार बनाए, कोई बनाए । लेकिन वह नहीं किया जाता । मास्टर प्लान एक मुद्दत से है । पहले ब्रह्मप्रकाश जी उस को लेकर बहुत कुछ कहा करते थे और जमीन के हेरफेर में लोगों ने करोड़ों रुपये कमाए । लेकिन जहां तक गरीब आदमी के रहने का ताल्लुक है उस को तो रहने का एक कमरा न पहले मिलता था और न आज मिलता है । और कोई चारा उस के पास नहीं है सिवाय इस के कि झोंपड़ी डाल कर रहे और स्लम बनाए ।

मकान के बाद दूसरी सब से बड़ी चीज आती है किसी भी गरीब आदमी के सामने चाहे वह फटे कपड़े पहने या भूखा रहे, लेकिन वह अपने बच्चे को तालीम देना चाहता है । हिन्दुस्तान का अमीर हो, गरीब हो, कोई भी आदमी हो शिक्षा उस के लिए प्राथमिकता नं० 1 रही है । इस मामले में दिल्ली के लिए आप क्या कर रहे हैं ? दिल्ली के हजारों बच्चे उत्तर प्रदेश में जा कर पढ़ते हैं, हरयाना में जा कर पढ़ते हैं, दिल्ली से बाहर जाकर पढ़ते हैं । वह हमारे ही बच्चे हैं । उन के पढ़ने में हमें कोई एतराज नहीं है । लेकिन एतराज मुझे इस बात पर है कि दिल्ली के

अन्दर उन बच्चों के लिए क्यों नहीं स्कूल खोले जाते ? जिन्दगी में जो सब से पहली चीज हुआ करती है कि बच्चे को तालीम मिले उस पहली चीज को भी न कांग्रेस संभाल पाई न जनसंघ संभाल पा रहा है । तालीम का इंतजाम भी आप बच्चों के लिए नहीं कर सकते तो आप कर क्या रहे हैं और फिर करोड़ों रुपये के बजट में करना क्या चाहते हैं ? आप के बच्चे को तकलीफ नहीं है, बड़े आदमियों के बच्चों को तकलीफ नहीं है, उन की पढ़ाई में कोई परेशानी नहीं है लेकिन गरीब आदमियों के बच्चे परेशान होते हैं । इस बात को भी आप महसूस नहीं करते हैं जो कि पहले नम्बर की चीज है । एक भी बच्चा अगर दिल्ली का पढ़ने के लिए दिल्ली से बाहर जाता है तो दिल्ली नगर निगम के लिए, केन्द्रीय सरकार के लिए और सब के लिए शर्म की बात है । आप क्यों नहीं उन के लिए अपने यहां स्कूल बनाते ? आप को बनाना चाहिए ।

फिर शिक्षा के बाद दिल्ली जैसे शहर में नवाब आता है यातायात का । गुप्ता जी ने कहा बसों के लिए कि बड़े फख्र की बात है और लोग बाग बहुत प्रसन्न होंगे । जब दिल्ली की अपनी ट्रांसपोर्ट सर्विस ठीक नहीं हो पायी, दिल्ली ट्रांसपोर्ट की बसें तो एक ही काम करती हैं, चलते हुए आदमी पर इतना धुआं फेंक देती हैं कि न बस वाले को वह दिखाई दे और न उस को बस दिखाई दे, तो आखिर में क्या काम किया कि अपनी वही आढ़त वाली बात लगा दी कि थोड़ा रुपया हम को दे दो और बाकी तुम बना कर चले जाओ । अगर यही नीति कोई बहुत बड़ी जोरदार नीति है तो मैं तो इस को नहीं समझ सकता । संकट काल में आप यह सब काम कर सकते हैं लेकिन मुस्तकिल अगर यही बनाने जा रहे हों कि क्योंकि हमारे पास अच्छी सर्विस नहीं है, हमारे पास जितनी बसें चलानी चाहिएं उतनी बस नहीं हैं इसलिए धीरे-धीरे कमीशन एजेंटी चालू कर दी जाय तो तुम काहे को कमीशन लेते हो भाई ? फिर कहो न कि हमारे बस का बस चलाना नहीं है, अब प्राइवेट लोगों को हम यह दे रहे हैं अब वह जानें और उनका धन्धा जाने । इस सिलसिले में कभी-कभी यहां चर्चा होती है अंडर ग्राउन्ड रेलवे की दुनिया के दूसरे शहरों की तरह । अरे, तुम बस तो चला नहीं सकते और अंडर ग्राउन्ड रेलवे की बात करते हो कि अंडर ग्राउंड रेलवे बनायेंगे । हिन्दुस्तान को हिन्दुस्तान ही रहने दो । जो खाने के लिए चने मांगता है उस को चने तो दे नहीं सकते और बात करोगे बिरयानी की । आज यातायात के मामले में गरीब आदमियों को इतनी परेशानी है, अमीर को कोई परेशानी नहीं है, वह खटाक से दस का नोट फेंकेगा और ठाट से टैक्सी में बैठ कर चला जायगा, लेकिन मध्यम वर्ग के और गरीब जिन को ड्यूटी पर जाना है उन को अगर आठ घंटे की ड्यूटी देनी है तो बस और रेल में दस घंटे की ड्यूटी देनी पड़ जाती है घर से दफ्तर पहुंचने और दफ्तर से घर वापस पहुंचने में और उस में भी घर वाली परेशान रहती है कि पता नहीं सही सलामत लौट कर आयेगा या नहीं आयेगा, कहीं ऐक्सीडेंट का शिकार तो नहीं हुआ या फिर बस निकल गई तो वहीं पड़ा तो नहीं रह गया ।

फिर उस के बाद बच्चों के लिए इतने बड़े शहर में दूध जरूरी होता है । और तो जिन्दगी में कुछ मिलता नहीं, कम से कम दूध ही मिल जाय और पीने के लिए दूध नहीं मिलता तो कम से कम चाय के लिए ही मिल जाय । लेकिन आज तो दिल्ली जैसे शहर में जहां नजदीक में हरियाना हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, जहां कृष्ण की भूमि नजदीक में हो, जहां गायों की बात होती हो और गाय के लिए आन्दोलन हों, जहां यह सारी बातें हों वहां दूध-पाउडर का और डिब्बे का लोग चाय के लिए इस्तेमाल करें, यह हालत हो रही है क्योंकि असली दूध मिलता नहीं । दूध के लिए न तो दिल्ली नगर निगम जिम्मेदारी लेने को तैयार है न यह तैयार

[श्री महाराज सिंह भारती]

हैं क्योंकि 4 करोड़ का धन्धा करते हैं तो एक करोड़ का उस में घाटा उठाते हैं। चार करोड़ का धन्धा दिल्ली दुग्ध योजना करेगा और उसमें एक करोड़ का घाटा पूरे हिन्दुस्तान के टैक्स पेयर के पैसे से सब्सिडाइस कर के पूरा करेगा। फिर भी गरीब आदमियों को वह दूध मिल नहीं पा रहा है। ऐसे हजारों केसेज पड़े हुए हैं जिन के यहां एक मास्टर है, छोटे-छोटे बच्चे हैं, कोई रोगी भी घर में है लेकिन दिल्ली मिल्क स्कीम उस को कार्ड नहीं दे पाता है क्योंकि दूध का शार्टेज है। तो एक मामूली चीज का भी आप इन्तजाम नहीं कर पाते हैं। फिर किस तरह से आप टैक्स बढ़ाना चाहते हैं। देहात पर भी और शहर पर भी।

देहात का दिल्ली का मामला बड़ा मजेदार और अजीब है क्योंकि दिल्ली में जितने बड़े लोग हैं सरकार के प्रधान मंत्री से लेकर और दूसरे बड़े-बड़े लोग जितने भी हैं सब को एक चीज सवार हुई है कि सब का अपना एक फार्म होना चाहिए। लोगों ने फार्म अपने-अपने बनाए हुए हैं और घटिया जगह फार्म बनाए हैं। मुझे दिल्ली के किसानों ने बताया। मैंने कहा कि मैं देखना चाहता हूं प्रधान मंत्री के फार्म को और बड़े-बड़े लोगों के फार्म को कि कैसा बढ़िया वह पैदा करते हैं। वह कहने लगा कि उस की पहचान आसान है, जहां चार-चार गज पर पेड़ दिखाई पड़ें वही प्रधान मंत्री का फार्म है और ऐसे ही और लोगों के फार्म हैं क्योंकि उन के यहां पैदावार बिलकुल नहीं होती। केवल फार्म वह लोग बना कर रखते हैं। बेकार जमीन है, उस जमीन पर बस्ती नहीं बसाना चाहते हैं। जहां किसानों ने बहुत बढ़िया-बढ़िया फसलें पैदा की हैं, जितना कम्पेन्सेशन आप उन्हें देना चाहते हैं, उस से दस गुना पैसा वह फसलों में पैदा करते हैं, लेकिन वहां पर आप चाहते हैं कि मकान बनाये जायें, आपको वहां से टैक्स मिलेगा---इस के बारे में सोचना पड़ेगा। आपको मकान ऐसी जगहों पर बनाना चाहिये, जहां की जमीन बेकार है, जहां पानी का इन्तजाम नहीं है, जहां सिचाई का इन्तजाम नहीं है, न वहां पर आपको नींव खोदनी पड़ेगी, वहां के पत्थर को उड़ाइये और उस नींव पर दस-दस मन्जिला मकान बनाते चले जाइये, लेकिन इस तरह से आप सोचना नहीं चाहते।

देहात में आज आप 20 प्रतिशत टैक्स की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस में आपका काम नहीं चलेगा, अगर 100 फीसदी टैक्स भी मांगिये, तो भी काम नहीं चलेगा। इस तरह से काम चलने वाला नहीं है, काम अगर चलेगा तो किफायतशुआरी से चलेगा। जैसे गरीब आदमी आपना बजट बनाता है तो दुनिया भर की किफायतशुआरी करने का प्रयत्न करता है, सब से पहले वह चाहता है कि झोंपड़ी मिले, फिर बच्चे को तालीम मिले, बीमार के लिये इलाज की व्यवस्था हो और फिर चौथी बात वह अपने बजट में यह रखता है कि कुछ अच्छा खाना-पीना मिल जाय। जिस तरह से एक गरीब आदमी सोचता है, दो सौ, ढाई सौ रुपये माहवार पाने वाला आदमी सोचता है, उसी तरह से अगर नगर निगम सोचेगा, तब आप जो भी योजना बनायेंगे, उसमें सफलता मिल सकेगी, लेकिन अगर आप लन्दन और पेरिस के हिसाब से चलना चाहेंगे तो यह गरीब देश आपको पैसा नहीं दे सकेगा, चाहे आप सौ फीसदी टैक्स लगा दें। इसलिये मेरा आप से अनुरोध है कि टैक्स को बढ़ाने के बजाय, खर्च को घटाने की बात कीजिये, तभी तो उस से आप का कल्याण हो सकेगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का विरोध करता हूं।

श्री मोहम्मद इस्माइल (बैरकपुर) : चेयरमैन साहब, दिल्ली म्युनिसिपल कारपोरेशन के सिलसिले में जो बिल यहां पर लाया गया है, इसमें जहां टैक्स बढ़ाने की बात की गई है, वहां यह भी मिसाल दी जा

रही है कि मुखतलिफ कारपोरेशनों में टैक्स की जो दर हैं और जहां तक टैक्स बढ़ा है, उस लिहाज से दिल्ली में टैक्स की दर बहुत कम है, इसलिये इस को बढ़ाया जाय, इस दर को उन जगहों के मुकाबले में लाया जाय । इसलिये जहां तक टैक्स बढ़ाने का सवाल है, मैं इस का विरोधी हूं और यह कहना चाहता हूं कि दिल्ली की म्युनिसिपल कारपोरेशन को जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की है और जैसा हमारे जनसंघ के साथियों ने कहा है कि उन्हें ग्रान्ट मिलनी चाहिए, मैं भी यही महसूस करता हूं कि उनकी यह मांग बिलकुल जायज है, उन को जो भी घाटा होता है, उस को पूरा करने की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की है ।

अब जहां तक कारपोरेशन का सम्बन्ध है, मुझे अभी हाल में मालूम हुआ है और जिसकी वजह से मैंने आपसे इस बिल पर बोलने की इजाजत मांगी—कि दिल्ली म्युनिसिपल कारपोरेशन ने अभी हाल में एक टैक्स लगाया है—1 करोड़ 81 लाख रुपये का टरमिनल टैक्स । वह इस टैक्स को इन्ट्रोड्यूस करने जा रहे हैं—इस के मायने यह हैं कि रोजाना के इस्तेमाल की तमाम चीजों की कीमतें जो आज हैं, वे इस टैक्स के लग जाने से बढ़ जायेंगी और इस तरह से इसका ज्यादा से ज्यादा असर गरीब आदमियों पर पड़ेगा । यह काम आपके कारपोरेशन ने किया है ।

इस के साथ-साथ एक और चीज भी मुझे अर्ज करनी है—आप जानते हैं कि दिल्ली में बहुत सी दुकानें ऐसी हैं जो नालियों पर तख्ते और चबूतरे रख कर बना ली जाती हैं, बहुत छोटी-छोटी दुकानें हैं और दिल्ली में यह सिलसिला करीब 40-50 वर्षों से चला आ रहा है, वे लोग इस के लिये कुछ पैसा भी देते हैं, मगर अब उन के ऊपर टैक्स का जो सिलसिला लगाया गया है, उस के मुताबिक उन का टैक्स 300 से 400 फीसदी हो जायेगा, जिनको अब एक रुपया देना पड़ता है, अब उन को बहुत ज्यादा देना पड़ेगा । इस के खिलाफ वहां आन्दोलन हो रहा है, उनकी मीटिंग्ज हुई हैं, उन्होंने केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों के पास अपनी दरख्वास्तों को भेजा, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के पास भेजा, नगर निगम के पास भेजा मगर उनकी सुनवाई कहीं नहीं हुई । वे लोग उस के बाद कोर्ट में भी गये कोर्ट से उन को स्टे-आर्डर भी मिला है ताकि कारपोरेशन रेजोल्यूशन पास कर के उस किराये को बढ़ा न दे, क्योंकि उस का ताल्लुक रेन्ट-कन्ट्रोल से है ।

इसी तरह से आपको मालूम होगा कि जितने साइन बोर्ड लगाये जाते हैं, कानून के 142 धारा के मुताबिक वे टैक्स से एक्जेम्पटेड हैं, उन पर टैक्स नहीं लगता है, लेकिन इस निगम में अभी हाल में इन साइन-बोर्डों पर भी टैक्स लगाने का सिलसिला शुरू किया गया है । इन्स्पैक्टर लोग जाते हैं और साइन-बोर्ड वालों पर टैक्स लगा देते हैं, तुम को 25 रु० देना होगा, तुम को 20 रुपया देना होगा, अगर किसी ने कुछ पैसा दे दिया तो 10 पर टीक से लगा दिया और पांच कम कर दिया, किसी को छोड़ दिया और बाकियों पर लगा दिया—इस तरह का सिलसिला वहां पर शुरू हुआ है जो बन्द हो जाना चाहिये । इस के खिलाफ भी आन्दोलन हो रहा है । दिल्ली की जनरल मर्चेन्ट्स एसोसियेशन है, उस ने इसका प्रतिवाद किया है, जब हम लोग इस के लिये कानून के अनुसार एक्जेम्पटेड हैं, तो यह क्यों हम पर लगाया जा रहा है । लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है—इस लिये मैं इस बात को भी यहां पर मेन्शन करना चाहता था ताकि इसकी रोकथाम हो सके ।

फिजूल खर्ची का जहां तक ताल्लुक है, जिन पर इस वक्त कारपोरेशन को चलाने की जिम्मेदारी है, मैं उनको बताना चाहता हूं कि कारपोरेशन के कई बड़े-बड़े गोडाउन्ज

[श्री मोहम्मद इस्माइल]

हैं, जिनमें पुराने लोहे का सामान रखा जाता है, लेकिन उनका कोई रजिस्टर नहीं है, कहीं पर उनकी डिटेल नहीं लिखी जाती है, नतीजा यह होता है कि जो लाखों रुपये की चीजें वहां रखी जाती हैं, वे सब बिक जाती हैं और उस का पैसा किस के पौकेट में जाता है, यह नहीं मालूम, मगर कारपोरेशन को उस का पैसा नहीं मिलता है । करीब-करीब कारपोरेशन के ऐसे 16 गोदाम हैं, जिनमें इन चीजों को रखा जाता है लेकिन उन के बिकने का कोई हिसाब नहीं है, इसलिये मैं चाहता हूं कि आप इस तरफ ध्यान दें ।

करप्शन का भी मैं यहां जिक्र करना चाहता हूं । इस वक्त कारपोरेशन को जनसंघ पार्टी चला रही है, इसलिये मैं अपने जनसंघ के साथियों को बताना चाहता हूं कि दो-तीन बड़े-बड़े अफसरों को ही हटा कर आप कारपोरेशन से करप्शन को खत्म नहीं कर सकते । अगर पहले लगे हुए टैक्सों को ही ठीक से वसूल किया जाय तो आपको ज्यादा टैक्स बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी । हमारे जनसंघ के दोस्त इस बात का जिम्मा लें, चूंकि उनकी पार्टी कारपोरेशन को चलाती है, इसलिये वह इन तमाम चीजों में जायं और देखें कि किस तरह से टैक्स ठीक से वसूल हो सकते हैं, तो काफी दिक्कतें हल हो सकती हैं । आज वहां पर इतनी बदइन्तजामी है कि अगर कोई निष्पक्ष कमेटी बनायें तो लोग बतलाने को तैयार हैं किस तरह से वहां पर टैक्सों की चोरी होती है । हमारे यहां कलकत्ता में भी यही हालत है, वहां की कारपोरेशन को "चोरपोरेशन" कहा जाता है, मैं उस नाम से तो आपकी कारपोरेशन को नहीं पुकारना चाहता, क्योंकि मैं भी कलकत्ता कारपोरेशन का चार साल तक मेम्बर रहा हूं । इसलिये ये तमाम चीजें मुझे मालूम हैं—आज अगर करप्शन का सब से बड़ा अड्डा है, तो ये कारपोरेशन हैं, इसलिये सिर्फ कांग्रेस पर ही इसकी जिम्मेदारी डालना ठीक नहीं है, लेकिन यह बात ठीक है कि कांग्रेस आजादी के बाद जिस ढंग से चली है, उस ने घूसखोरी को बढ़ाया है, अब अगर हमारे जनसंघ के भाई इस को खत्म करना चाहें, तो इस को खत्म किया जा सकता है, मगर इस काम के लिये उनकी पार्टी पूरी तरह से लगे, तब ही ऐसा हो सकता है ।

आपको मालूम है बम्बई कारपोरेशन की तरफ से गरीबों को रहने के लिये मकान बनाये जाते हैं, यह एक ऐसे इलाके में बनाये जाते हैं, जहां गरीब लोग रहते हैं, हमारी कलकत्ता कारपोरेशन में भी ऐसा हुआ है कि उन्होंने गरीबों के रहने के लिये, मजदूरों के रहने के लिये छोटे-छोटे मकान बनाने की बात मानी है, ताकि उन लोगों को जो शहरों में काम करते हैं, कम किराये पर रहने की जगह मिल सके । हमें इस के लिये वहां पर आन्दोलन करना पड़ा था, वहां पर ऐसा हुआ था कि बस्ती उठा दी जायेगी और शहरों में जो गरीब आदमी रहते हैं, उन को बाहर दूर चला जाना पड़ेगा ।

इसके मानी यह हैं कि रोजाना 4 आने पैसे खर्च करके नौकरी पर आना पड़ेगा । यह तमाम बातें होने के बाद वहां यह ठीक हुआ है कि जो बस्तियां हटायी जायेंगी वहां पर पक्के मकान बनाये जायेंगे । गरीबों के रहने के लिये जिनमें कि वे कम किराया देकर रह सकें । मैं चाहूंगा कि इस तरह की स्कीम वहां पर हो ।

मुझे यह अर्ज करना है कि दिल्ली में बच्चों के दूध का मुनासिब व माकूल इंतजाम दिल्ली म्युनिससिपल कारपोरेशन को करना चाहिये । दिल्ली का इंतजाम चूंकि जनसंघ के हाथ में आया है इसलिए मैं उनसे यह उम्मीद रखता हूं कि वह इस का बन्दोबस्त करेंगे । महज कांग्रेस को गाली देने से काम नहीं बनने वाला है और उन को कुछ काम करके और दिल्ली की हालत बेहतर करके भी दिखाना पड़ेगा क्योंकि दिल्ली का बन्दोबस्त करने की जिम्मेदारी अब आप पर आई है ।

दिल्ली पर 1 करोड़ 81 लाख का टैक्स होने से जाहिर है जिससे दिल्ली में सब चीजों के दाम बढ़ेंगे और याद रखियेगा कि चूंकि दिल्ली में जनसंघ का प्रशासन चल रहा है इसलिए लोग बाग आपको पकड़ेंगे। पटरी वाले, चबूतरे वाले अगर इन पर अन्याय हुआ और उनकी कठिनाइयां बढ़ीं तो यह तमाम जिम्मेदारी आप पर ही आयेगी और इसलिये आप को यह सब बातें देखनी होंगी और मुनासिब और माकूल कदम उठाने होंगे। चूंकि मेरा वक्त खत्म हो गया है इसलिये और ज्यादा न कह कर बिल में जो टैक्सेशन बढ़ाने का प्रस्ताव है उसका मैं विरोध करता हूं।

श्री हरदयाल देवगुण (पूर्व दिल्ली): सभापति महोदय, यह विधेयक जो यहां रक्खा गया है उसके उद्देश्यों में उसके रखने के कारण बतलाये गये हैं। मुझे खेद है कि जिन माननीय सदस्यों ने इस विवाद में भाग लिया है उन में बहुतों ने उन उद्देश्यों का अध्ययन अच्छे तरीके से नहीं किया है।

इस में सन्देह नहीं है कि नगर निगम का प्रशासन पिछले साल से जनसंघ के हाथ में आया है। जब यह प्रशासन जनसंघ के हाथ में आया उस समय नगर निगम की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। लगभग 7 करोड़ रुपए का कर्जा था और यह कर्जा भी उस स्थिति में, जब उसे केन्द्र से अच्छी सहायता मिला करती थी। कारपोरेशन की हालत, जैसे दूसरे भाइयों ने बताया है, इस प्रकार की थी कि शहर की व्यवस्था करने में पूर्ण रूप से और पिछली फरवरी से 6 महीने पहले तक हम हर रोज अखबारों में पढ़ा करते थे कि कारपोरेशन के पास अपने कर्मचारियों तक को देने के लिए पैसा नहीं था। लेकिन फरवरी 1967 के बाद दिल्ली की तस्वीर बदलनी शुरू हुई। भले ही वह धीरे-धीरे क्यों न बदल रही हो हम ने कारपोरेशन की आय के साधनों और स्रोतों का ठीक ढंग से प्रयोग करके और उस में भ्रष्टाचार को कम करके उस की स्थिति को ठीक करने की कोशिश की है। यद्यपि केन्द्रीय सरकार से जो मदद मिलनी चाहिए थी वह हमें नहीं मिल सकी। मन्त्री जी ने अभी कहा है कि यह विधेयक राजनीतिक प्रश्न नहीं है और यह कोई विवाद का भी प्रश्न नहीं है। मैं चाहूंगा कि इसी भावना से दिल्ली नगर निगम की स्थिति पर विचार होना चाहिए। दिल्ली सारे देश की राजधानी है और दिल्ली पर सारे देश का अधिकार है और दिल्ली की सेवा करना सारे देश की सेवा करना है। इसलिए दिल्ली नगर निगम की स्थिति को सुधारने के लिए केन्द्रीय सरकार को दिल्ली नगर निगम में सत्तारूढ़ जनसंघ दल को पूरा सहयोग देना चाहिए। दिल्ली का सत्तारूढ़ दल जनसंघ पूरी ईमानदारी से दिल्ली की स्थिति को और कारपोरेशन की स्थिति को सुधारने के लिए लगा हुआ है और आय के स्रोतों से जितना रुपया कमाया जा सकता है वह कमाने की कोशिश कर रहा है। बिल के जो उद्देश्य में लिखा हुआ है :

"While ensuring at the same time that *the burden of the tax is distributed on a* graduated scale according to the principle of ability to pay."

मैं चाहता था कि श्री लोबो प्रभु और दूसरे भाई बोलने से पहले इसे पढ़ लेते और इसका अध्ययन कर लेते।

कारपोरेशन के कमिश्नर ने यह प्रस्ताव किया था कि यहां की नगर निगम की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए हाउस टैक्स की दर 11 प्रतिशत से बढ़ा कर 16 प्रतिशत कर दी जाए। इस प्रस्ताव में सभी मकान आ जाते थे। वे सब का रेट बढ़ाना चाहते थे लेकिन जनसंघ के दल ने सारे बजट पर पुनर्विचार करके उस के आय के स्रोत को ठीक करने का प्रयत्न करते हुए यह सुझाव दिया कि हर मकान पर यह हाउस टैक्स नहीं बढ़ाना चाहिए बल्कि केवल ऐसे मकानों पर हाउस टैक्स की दर बढ़ानी चाहिए जो मकान व्यवसाय के काम आते हैं, जो कमर्शियल परपजेज के

[श्री हरदयाल देवगुण]

लिए इस्तेमाल होते हैं। ऐसे मकानों की दर बढ़ानी चाहिए और वह भी ग्रेजुएटैड स्केल पर बढ़ायी जाय। जितनी मालिक मकान की देने की क्षमता है उस क्षमता के हिसाब से उन पर टैक्स लगाना चाहिए। जहां देने की क्षमता अधिक हो वहां पर अधिक टैक्स लगाया जाय और जहां कम हो वहां पर कम टैक्स लगाया जाय। उस के बाद वह सारा मामला स्थायी समिति द्वारा सोचा गया और उस के बाद स्थायी समिति ने इस के बारे में अपनी सिफारिश की कि इस प्रकार का टैक्स लगाया जाय उस निर्णय को वैध करने के लिए यह बिल लाया गया है। उस में पहले कार-पोरेशन के कमिश्नर ने जो टैक्स लगाने का प्रस्ताव किया था उस के अनुसार शहरी क्षेत्रों में सामान्य कर की दर 11 प्रतिशत : से 16 कर दी गई थी और अग्नि कर, फायर टैक्स आधे प्रतिशत: से बढ़ा कर 1 प्रतिशत कर दिया गया था। प्रोफैशन टैक्स लगाया गया था। गाड़ियों और बसों पर टैक्स लगाया गया था। लेकिन वह सभी टैक्स रद्द करके स्थायी समिति ने जो टैक्स मन्जूर किए वह इस प्रकार से थे कि इंटरटेनमैन्ट टैक्स 25 प्रतिशत से बढ़ा कर 40 प्रतिशत कर दिया गया। मोटर वैहकिल्स टैक्स में वृद्धि की गई। जो विकास की वस्तुएं हैं उन पर चुंगी की दर बढ़ा दी गई। इसी प्रकार से बड़े-बड़े व्यापारिक कामों में आने वाले भवनों पर हाउस टैक्स की दर 11 प्रतिशत से बढ़ा कर 16 प्रतिशत कर दी गई। साइकिल टैक्स एक रुपए से घटा कर 4 आने कर दिया गया। मैं उन तथा कथित समाजवादी भाइयों को बतलाना चाहता हूं कि हमारे द्वारा सोशलिज्म का दावा न करने के बावजूद कोई भी सोशलिस्ट सरकार इस प्रकार की बात नहीं कर सकी जो कि दिल्ली में जनसंघ ने कर दिखाई है। भारती जी का यह आरोप कि दिल्ली के छात्रों को दिल्ली से बाहर पढ़ने के लिए जाना पड़ता है पिछले साल तक के लिए ठीक है क्योंकि दिल्ली के बच्चे पढ़ने के लिए प्राय: यू० पी०, पंजाब और हरियाणा में जाया करते थे लेकिन पिछली फरवरी के बाद दिल्ली में यह क्रान्ति हो गई है कि यहां के बच्चों के लिए शिक्षा का यहीं प्रबन्ध हो गया है। इस वर्ष से दिल्ली के स्कूल और कालिजों में स्थान खाली रहे और यहां के किसी बच्चे को पढ़ने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी है। अलबत्ता अब केवल वही बच्चे यहां से बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं जिनको 40 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त होते हैं और यूनिवर्सिटी के कायदे के अनुसार 40 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्र दिल्ली के किसी कालिज में दाखिल नहीं हो सकते हैं और इसलिए ऐसे बच्चों को अब भी दिल्ली के बाहर जाना पड़ता है। यह यूनिवर्सिटी हमारे कब्जे में नहीं है। लेकिन इस से पहले 40 प्रतिशत अंक से अधिक अंक प्राप्त करने वालों को भी दिल्ली से बाहर जाना पड़ता था। अब ऐसे छात्रों को दिल्ली के बाहर नहीं जाना पड़ता। यह परिवर्तन हुआ है।

16.37 Hrs.

[Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*]

बड़े-बड़े भवनों से यह जो कर वसूल किए जायेंगे उन का प्रयोग भी दिल्ली के सुधार के लिए किया जायेगा। 1000 नए कर्मचारी रक्खे जायेंगे। स्कूल जो आजकल टैंटों में चलते हैं उन के लिए पक्की इमारतें बनाई जाऐंगी। उन में फ्लश और पानी की

व्यवस्था की जायेगी और जहां पार्क और दूसरी सुविधाएं आवश्यक हैं वहां उन का विधान किया जायेगा। यह सब चीजें की जा रही हैं।

जब दिल्ली में दिल्ली को खूबसूरत बनाने के लिए, दिल्ली में तमाम सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए कारपोरेशन का सत्तारूढ़ दल कटिबद्ध है तो केन्द्रीय सरकार का भी यह दायित्व है कि उन की सहायता करे। सरकारी इमारतों से कारपोरेशन को जो टैक्स मिलना चाहिए वह दर के हिसाब से उस को नहीं मिलता है। अगर वह ही मिल जाय तो किसी और सहायता की जरूरत न रहे। उसी से यहां का इंतजाम बेहतर करके हम दिखा सकते हैं। हम यह दावे के साथ कह सकते हैं कि यहां पर कारपोरेशन का इंतजाम सम्भालते ही हमने आगे की ओर और सुधार की ओर कदम बढ़ाया है। कारपोरेशन का इंतजाम सम्भालते ही पहले तीन-चार दिनों में एक विभाग से ही हम ने 1,4,000 रुपए रोज की इनकम बढ़ा कर दिखाई। इसी तरीके से अनेक विभागों में आमदनी बढ़ा कर दिखाई। फैक्टरियों के लाइसेंस देकर आमदनी को बढ़ाया। हाउस टैक्स से होने वाली आमदनी बढ़ा कर दिखाई। इसी तरह चुंगी के जरिए आमदनी बढ़ा कर दिखाई है।

यहां पर कारपोरेशन में करप्शन और भ्रष्टाचार का भी जिक्र किया गया है। यह सर्वविदित है कि पिछले 20 सालों में वहां पर करप्शन और भ्रष्टाचार का बोलबाला था लेकिन अब करप्शन में कमी आई है। हम ने 20 बड़े-बड़े अधिकारियों को रंगे हाथों पकड़ा है और इस तरीके से करप्शन कम करने की कोशिश की है। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि म्युनिसिपल कारपोरेशन में एक साल में काफी करप्शन कम हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है कि उसी हिसाब से यदि हमारी प्रगति रही तो हम यह करप्शन वहां खत्म कर देंगे। हमारा उद्देश्य यह है कि दिल्ली को एक शानदार नगर बनाया जाय। हमारा उद्देश्य यह है कि दुनिया की राजधानियों में दिल्ली एक सुन्दर और शानदार राजधानी हो। यह दायित्व केवल हम पर, दिल्ली के नागरिकों पर ही नहीं है अपितु यह दायित्व सारे देश के ऊपर है और इसलिए पूर्ण देश का प्रतिनिधित्व करने वाली यहां पर जो केन्द्रीय सरकार विद्यमान है उस पर भी यह दायित्व है जो मैचिंग ग्रांट पहले केन्द्रीय सरकार दिया करती थी वह ग्रांट बन्द नहीं होनी चाहिए वह मिलनी चाहिए और उदारता से मिलनी चाहिए। जो सरकारी सेवक हैं, उन की जो सेवा होती है उस का प्रतिकर उन को मिलना चाहिए और दूसरे लोगों को जो हाउस टैक्स मिलता है उसी दर से म्यूनिसिपल कारपोरेशन को भी हाउस टैक्स मिलना चाहिए, केन्द्र से।

मैं दावे के साथ कहता हूं कि यदि सरकार ने अपना दायित्व पूरा किया तो यहां पिछले सालों से कारपोरेशन के बारे में लोगों को जो शिकायतें रही हैं, वह अगले पांच सालों में दूर हो जायेंगी। यह तो पहला साल था। बरसात में जो सड़कें खराब हो गई थी, वह एक हफ्ते के अन्दर ठीक कर दी गईं। पहले तीन-तीन महीनों तक वह ठीक नहीं हुआ करती थीं। यहां नई दिल्ली में सड़कें खराब पड़ी रहती हैं क्योंकि वहां का इन्तजाम नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी का है जिस पर श्री शुक्ल का राज्य है। लेकिन जो कारपोरेशन की सड़कें थीं वह एक हफ्ते के अन्दर सब ठीक कर दी गई थीं। अगर नई दिल्ली का इन्तजाम भी कारपोरेशन के नीचे आ जाये तो यहां के लोगों की शिकायतें भी न रहें। मैं समझता हूं कि दिल्ली की सेवा करने के लिए जो दल कारपोरेशन में काम कर रहा है उसे हम सब लोग सहयोग दें। आप ने उन को सहयोग देने के लिए कुछ काम किया है, लेकिन वह पूरा नहीं है। इस

[श्री हरदयाल देवगुण]

के लिए आप को और भी करना पड़ेगा, और वह आप करें।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री इसहाक सामली (अमरोहा): उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली की यह बदकिस्मती रही कि यहां तरक्की के नाम पर हिन्दुस्तान भर में टैक्सपेयर्स की जेबें काट कर के खर्च किया गया। दिल्ली के अन्दर जो टैक्सेज बढ़े, जिस रफ्तार से बढ़े, वह श्री भारती बतला चुके हैं, इस लिए मैं उस में नहीं जाऊंगा। लेकिन आप ने यह तो देखा ही होगा कि जिस रफ्तार से टैक्स बढ़े, शायद उसी रफ्तार से, बल्कि उस से ज्यादा रफ्तार से यहां पर करप्शन भी बढ़ा है।

मुझे दुःख के साथ यह कहना पड़ता है कि कांग्रेस ने हमेशा दिल्ली को खूबसूरत बनाने के नाम पर, यहां के लोगों को उजाड़ने की स्कीमें बनाई, उस ने दिल्ली को खूबसूरत बनाने के नाम पर टैक्स बढ़ाये। और उस का जो नतीजा रहा वह हमारे और आप के सामने यह रहा कि रात-दिन सरकार से यही निवेदन होता रहा, सैंट्रल गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त होती रही कि पैसा दिया जाये। उस के बाद जब जनसंघ की सरकार आई, तो मैं आप से क्या कहूं, जिस की आज बड़ी तारीफ की जाती है, किस तरह पर जिस पैसे से कारपोरेशन की आमदनी बढ़ाई जा सकती थी, आवाम के जिन टैक्सों से कारपोरेशन की माली हालत बेहतर बनाई जा सकती थी, वही आज दे दिया गया उन सरमायेदारों को जो एक नहीं दर्जनों बसें चलाते हैं। आज बसों की बड़ी तारीफ की जाती है। लेकिन मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है, और आप को मालूम होगा, कि जो ज्यादा पेइंग रूट्स हैं, वह प्राइवेट बस ओनर्स को दिए गए। कितने पर? गालिबन 25 रु० रोज पर। उन की आमदनी क्या है? 400 रु० रोज या 450 रु० रोज। मैं नहीं जानता कि यह कहां तक सही है, लेकिन जहां तक मैंने सुना है रूट नं० 3 पर 400 और 450 रु० रोजाना के दर्म्यान आमदनी है। उन से क्या लिया जाता है? 25 रु० रोज। अगर यह उन को पालना और फायदा पहुंचाना नहीं है तो फिर क्या है?

आज दिल्ली के कारपोरेशन ने एक बहुत बड़ा काम अपना लिया है, कि बेजबान लोगों को, गरीबों को, यहां से उजाड़ कर ऐसी जगह पर फेंका जाय जहां न उन को पानी मिले, न बिजली मिल सके और न जिन्दगी की कोई दूसरी सहूलियत मयस्सर हो सके। कौन नहीं जानता कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास और दूसरी जगहों से लोगों को उजाड़ा गया और उजाड़ कर के कहां डाला गया? पंखा रोड पर, नांगलोई में, जिन के बारे में मेरी इत्तला यह है कि जब सख्त कोल्ड वेव आई थी उन को जमीन पर आस्मान के नीचे डाल दिया गया। इस सदन में भी उन लोगों का जिक्र आया, जिन के लिए रात में सर्दी से बचने का कोई इन्तजाम नहीं था। न उन के लिए पानी का इन्तजाम था और न रोशनी का ही इन्तजाम था। न जाने कितने बूढ़े लोग वहां सर्दी से मर गए और न जाने कितने बच्चे मर गए, और यह सिलसिला खत्म नहीं हुआ, जारी है।

पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने में यहां पर जब अनआथराइज्ड आकुपेशन को खाली करवाने का सवाल पेश हुआ तब यह तय हुआ था कि पहले मकान बनायें जायेंगे और उस में अकोमोडेशन दी जायेगी। वहां के रहने वालों को वहीं पर जगह दी जायेगी। मैं मिसाल के तौर पर बतलाऊं कि दोजाना हाउस में यहां एक तीन मंजिला बिल्डिंग बनाई गई और उस में रहने वालों को वहां पर बसाया गया। लेकिन बदकिस्मती यह है कि अब हालत दूसरी है। पुरानी दिल्ली के रहने वालों को दिल्ली के पुराने बाशिन्दों को मायूसी है और वह समझते हैं कि शायद राजनीतिक तौर पर, सयासी तौर पर उन के काम वह नहीं आ सकती। आप को सुन कर

दुःख होगा कि पुरानी दिल्ली के मोहल्ले के लोगों को तुर्कमान गेट और भोजरा पहाड़ी और दूसरी जगहों के लोगों को, जहां इत्तफाक से ज्यादातर मुसलिम आबादी है, कुछ नान-मुसलिम भी है, ठीक उस रात को जिस की सुबह ईद थी, नोटिस सर्व किया गया। हालांकि वह नोटिस गलत थे कानूनी तौर पर, लेकिन यह जरूरी समझा गया कि जब सुबह ईद थी तो उन को नोटिस सर्व किए जायें और उन को 48 घन्टों के भीतर उजाड़ देने का आर्डर दे दिया गया। उन के लिए आल्टरनेटिव अकोमोडेशन का कोई सवाल नहीं था। इसी तरह पर नांगलोई और पंखा रोड की तरह के उजाड़ इलाकों पर फेंक देने की तैयारी की गई।

मैं जानना चाहता हूं कि आखिर यह पैसा किस चीज के लिए बढ़ाया जा रहा है। वक्त होता तो मैं तफसील से बतलाता। फिर भी इतना तो कह ही सकता हूं कि बड़े लोगों पर जितना टैक्स बकाया है, अगर वह रियलाइज कर लिया जाय तो शायद आइन्दा एक पैसा भी टैक्स लगाने की जरूरत न हो। दिल्ली के बारे में किसी पार्टी की मोनोपोली नहीं, कांग्रेस पार्टी की भी मोनोपोली नहीं है। सारे हिन्दुस्तान के टेक्सपेयर्स का पैसा जो सैंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ के तौर पर जाता है, वह इस में लगता है। इसलिए हम सब को इस का ख्याल करना होगा और यह देखना होगा कि किस तरह से वह पैसा जो कारपोरेशन की जेब में आ सकता था और जिस से तरक्की दी जा सकती थी, बड़े-बड़े सरमायेदारों को लुटाया जा रहा है। दिल्ली मिल्क स्कीम के दूध की कीमत बढ़ाकर प्राइवेट ठेकेदारों की आमदनी बढ़ाई जाती है। इसी तरीके से मैं यह कह सकता हूं कि दिल्ली अच्छाई की तरफ नहीं, दिल्ली तबाही की तरफ ले जाई जा रही है।

इसलिए मैं इस बिल का सख्ती के साथ विरोध करता हूं।

(شری اسحاق سمبھلی) : اپادھیکش مہودے - دھلی کی یہ بدقسمتی رہی ہے کہ یہاں ترقی کے نام پر ہندوستان بھر کے ٹیکس پیئرس کی جیبیں کاٹ کر خرچ کیا گیا - دھلی کے اندر جو ٹیکسیز بڑھے - جس رفتار سے بڑھے - وہ شری بھارتی بتلا چکے ہیں - اس لئے میں اس میں نہیں جاونگا - لیکن آپ نے یہ تو دیکھا ہی ہوگا کہ جس رفتار سے ٹیکس ہے - شائد اسی رفتار سے - بلکہ اس سے زیادہ رفتار سے یہاں پر کرپشن بڑھا ہے - مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کانگریس نے ہمیشہ دھلی کو خوبصورت بنانے کے نام پر - یہاں کے لوگوں کو اجاڑنے کی اسکیمیں بنائیں - اس نے دھلی کو خوبصورت بنانے کے نام پر ٹیکس بڑھائے - اور اس کا جو نتیجہ رہا وہ ہمارے اور آپ کے سامنے یہ رہا کہ رات دن سرکار سے یہی نیویدن ہوتا رہا - سینٹرل گورنمینٹ سے یہی درخواست ہوتی رہی کہ پیسہ دیا جائے - اس کے بعد جب جن سنگھ کی سرکار آئی - تو میں آپ سے کیا کہوں - جس کی آج بڑی تعریف کی جاتی ہے - کس طرح پر جس پیسے سے کارپوریشن کی آمدنی بڑھائی جا سکتی تھی - عوام کے جن ٹیکسوں سے کارپوریشن کی مالی حالت بہتر بنائی جا سکتی تھی - وہی آج دے دیا گیا ان سرمایہ داروں کو جو ایک نہیں درجنوں بسیں

[شری اسحاق سمبھلی]

چلاتے ھیں - آج بسوں کی بڑی تعریف کی جاتی ھے - لیکن مجھے بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ھے - اور آپ کو معلوم ھوگا - کہ جو زیادہ پیٹینٹ روٹس ھیں - وہ پرائیویٹ بس اونرس کو دئے گئے - کتنے پر - غالباً ۲۵ روپیہ روز پر - ان کی آمدنی کیا ھے - ۴۴۰ روپیہ روز یا ساڑھے ۴۰۰ روپیہ روز - میں نہیں جانتا کہ یہ کہاں تک صحیح ھے - لیکن جہاں تک میں نے سنا ھے روٹ نمبر ۵۸ اور روٹ نمبر ۳ پر ۴۰۰ اور ۴۵۰ روپیہ روزانہ کے درمیان آمدنی ھے - اس سے کیا لیا جاتا ھے - ۲۵ روپیے روز - اگر یہ ان کو پالنا اور فائدہ پہنچانا نہیں ھے تو پھر کیا ھے -

آج دھلی کے کارپوریشن نے ایک بہت بڑا کام اپنالیا ھے - کہ بے زبان لوگوں کو - غریب لوگوں کو - یہاں سے اجاڑ کر ایسی جگہ پر پھینکا جائے جہاں نہ ان کو پانی ملے - نہ بجلی مل سکے اور نہ زندگی کی کوئی دوسری سہولت میسر آ سکے - کون نہیں جانتا کہ نئی دھلی ریلوے اسٹیشن کے پاس اور دوسری جگہیں سے لوگوں کو اجاڑا گیا اور اجاڑ کرکے کہاں ڈالا گیا - پنکھا روڈ پر - نانگلوئی میں - جن کے بارے میں میری اطلاع یہ ھے کہ جب سخت کولڈ ویو آئی تھی اس وقت ان کو زمین پر - آسمان کے نیچے ڈال دیا گیا - اس سدن میں بھی ان لوگوں کا ذکر آیا - جن کے لئے رات میں سردی سے بچنے کا کوئی انتظام نہیں تھا - نہ ان کے لئے پانی کا انتظام تھا اور نہ روشنی کا ھی انتظام تھا - نہ جانے کتنے بوڑھے لوگ وھاں سردی سے مر گئے اور نہ جانے کتنے بچے مر گئے - اور یہ سلسلہ ختم نہیں ھوا - جاری ھے -

پنڈت جواھر لال نہرو کے زمانے میں یہاں پر جب اَنآتھرائزڈ اکوپیشن کو خالی کروانے کا سوال پیش ھوا تب یہ طے ھوا تھا کہ پہلے مکان بنوائے جائیں گے اور اس میں اکوموڈیشن دی جائے گی - وھاں کے رھنے والوں کو وھیں پر جگہ دی جائے گی - میں ھال کے طور پر بتلاؤں کہ روزانہ ھاؤس میں یہاں ایک تین منزلہ بلڈنگ بنائی گئی اور اس میں رھنے والوں کو وھاں پر بسایا گیا - لیکن بد قسمتی یہ ھے کہ اب حالت دوسری ھے - پرانی دھلی کے رھنے والوں کو - دھلی کے پرانے باشندوں کو مایوسی ھے اور وہ سمجھتے ھیں کہ شائد راجنیتک طور پر سیاسی طور پر ان کے کام وہ نہیں آ سکتی - آپ کو سن کر دکھ ھوگا کہ پرانی دھلی کے محلے کے لوگوں کو ترکمان گیٹ اور بھوجرا پہاڑی اور دوسری جگہوں کے لوگوں کو - جہاں اتفاق سے زیادہ

سے وہ پیسہ جو کارپوریشن کی جیب میں آ سکتا تھا اور جس سے ترقی دی جا سکتی تھی - وہ بڑے بڑے سرمایہ داروں کو لٹایا جا رہا ہے - دھلی ملک اسکیم کے دودھ کی قیمت بڑھا کر پرائویٹ ٹھیکداروں کی آمدنی بڑھائی جاتی ہے - اسی طریقہ سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دھلی اچھائی کی طرف نہیں - دھلی تباہی کی طرف لے جائی جا رہی ہے -

اس لئے میں اس بل کا سختی سے - ویرودھ کرتا ہوں -)

श्री ओंकार लाल बोहरा (चित्तौड़गढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली हमारे देश की राजधानी है और दिल्ली की गतिविधि की, दिल्ली के कार्या-कलापों की, दिल्ली के ऐडमिनिस्ट्रेशन और कारपोरेशन की, सारे देश में चर्चा होती है। पिछले चुनाव के पहले यह बड़ी आसान सी बात थी क्योंकि कांग्रेस के द्वारा या कांग्रेस पार्टी के द्वारा शासन चलता था। लोगों को बड़ी आशा थी कि कांग्रेस से निकलने के बाद जब जनसंघ के हाथ में यहां का कारपोरेशन आया है तो दिल्ली के शासन में जो गन्दगी है दिल्ली के करप्शन में और दिल्ली के अन्दर जो गड़बड़ियां हैं, उन में तेजी से कमी हो जायेगी। लेकिन लोगों की निराशा बढ़ गई है। दिल्ली के अन्दर जनसंघ को एक मौका मिला कि वह कारपोरेशन के अन्दर अच्छे से अच्छा शासन कर सके और अनुशासन से काम कर सके, लेकिन आप लोगों ने पिछले दिनों देखा होगा कि लोगों की मायूसी बढ़ी है, निराशा बढ़ी है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आर्थिक दृष्टि से हमारे देश की जो हालत है, जिस तरह का बजट हमारे यहां प्रस्तुत होता है, जिन कठिनाइयों में से हम गुजर रहे हैं, उस को देखते हुए केवल दिल्ली कारपोरेशन को ही अगर

تر مسلم آبادی ہے - کچھ نان مسلم بھی ہیں - ٹھیک اس رات کو جس کی صبح عید تھی - نوٹس سرو کیا گیا - حالانکہ وہ نوٹس غلط تے قانونی طور پر - لیکن یہ ضروری سمجھا گیا کہ جب صبح عید تھی تو ان کو نوٹس سرو کئے جائیں اور ان کو ۴۸ گھنٹوں کے بھیتر اجاڑ دینے کا آرڈر دے دیا گیا - ان کے لئے الٹرنیٹو اکوموڈیشن کا کوئی سوال نہیں تھا - اسی طرح پر نانگلوئی اور پنکھا روڈ کی طرح ہے کے اجاڑ علاقوں پر پھینک دینے کی تیاری کی گئی -

میں جاننا چاہتا ہوں کہ آخر یہ پیسا کس چیز کے لئے بڑھایا جا رہا ہے - وقت ہوتا تو میں تفصیل سے بتلاتا - پھر بھی اتنا تو کہہ ہی سکتا ہوں کہ بڑے لوگوں پر جتنا ٹیکس بقایہ ہے - اگر وہ ریپلائز کر لیا جائے تو شائد آئیندہ ایک پیسا بھی ٹیکس لگانے کی ضرورت نہ ہو - دھلی کے بارے میں کسی پارٹی کی مونوپولی نہیں ہے - کانگریس پارٹی کی بھی مونوپولی نہیں ہے - سارے ہندوستان کے ٹیکس پیئرس کا پیسہ جو سنٹرل گورنمنٹ کی طرف سے ریلیف کے طور پر دیا ہے وہ اس میں لگتا ہے - اس لئے ہم سب کو اس کا خیال کرنا ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ کس طرح

[श्री ओंकार लाल बोहरा]

सेंटर द्वारा सारा या अधिक से अधिक धन दे दिया जाये, तो मैं जानना चाहता हूं कि आखिर हमारे देश के लाखों गांवों ने क्या अपराध किया है ? दिल्ली के अलावा क्या हिन्दुस्तान में कोई और दूसरे स्थान नहीं हैं, दूसरे बाशिन्दे नहीं हैं, जिनको सहायता की आवश्यकता है। इसलिए मैं नहीं समझता कि हिन्दुस्तान के लोगों की कास्ट पर, लाखों-करोड़ों लोगों की कास्ट पर, मध्यम और साधारण श्रेणी के लोगों की कास्ट पर हम केवल दिल्ली को ही धन देते रह सकते हैं या दिल्ली को सरसब्ज बनाते रह सकते हैं। मैं समझता हूं कि दिल्ली के अन्दर शासन करने वाले कारपोरेशन की, उस में काम करने वाले लोगों की यह बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि वह इस सम्बन्ध में स्रोतों का पता लगाएं और शासन के लिए अधिक से अधिक पैसा इकट्ठा करने का प्रयत्न करें।

यह बिल दिल्ली प्रशासन की शक्ति को बढ़ाने वाला है। इसलिए मैं समझता हूं कि जनसंघ के सदस्य इस बिल का हृदय से स्वागत करेंगे क्योंकि यह वस्तुतः उन की शक्ति और क्षमता को बढ़ाने के लिए लाया गया है। कारपोरेशन का शासन किसी की बपौती नहीं है। आज वहां किसी दूसरी पार्टी का राज्य है, कल तीसरी पार्टी का शासन हो सकता है। लेकिन यह ऐक्ट बना रहेगा और यह जो शक्ति कारपोरेशन को दी जा रही है वह बनी रहेगी।

मैं समझता हूं कि यह कहना अपनी अकर्मण्यता और असफलता का प्रदर्शन करना है कि केन्द्र की ओर से किसी राजनैतिक कारण से कारपोरेशन को पैसा नहीं दिया जा रहा है। ऐसी बात कह कर माननीय सदस्य अपना राजनैतिक चेहरा दिखाने की चेष्टा करते हैं।

दुर्भाग्य से चौथे चुनाव के बाद जहां-जहां भी नान-कांग्रेस पार्टीज की गवर्नमेंट्स बनीं, उन्होंने अपनी अकर्मण्यता, असफलताओं और कमजोरियों के लिए सीधा कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। लेकिन हिन्दुस्तान की जनता बड़ी आसानी और खूबी के साथ वास्तविकता को समझ रही है। मैं विरोधी पार्टियों से निवेदन करना चाहता हूं कि कल तक वे विभिन्न बातों को लेकर कांग्रेस की आलोचना करते थे, लेकिन आज जब वे शासन में आए हैं, तो उन की नीतियों और कार्यों से जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं, उन के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। मैं बंगाल और अन्य प्रदेशों का उदाहरण देना चाहता हूं। अगर वहां के सत्तारूढ़ गैर-कांग्रेस दल चाहते, तो अच्छे से अच्छा शासन कायम कर सकते थे, लेकिन ऐसा न कर के उन्होंने अपनी कमजोरियों और असफलताओं के लिए केन्द्र को जिम्मेदार ठहराया। कुछ इसी तरह की मनोवृत्ति का परिचय हमारे माननीय मित्र दिल्ली कारपोरेशन के सम्बन्ध में दे रहे हैं।

जिन लोगों के हाथ में कारपोरेशन की बाग डोर है, वे इस नगर के झुग्गी-झोंपड़ी वालों की समस्या को ठीक तरह से हल नहीं कर सके, अपनी आमदनी को नहीं बढ़ा सके भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं कर सके, सड़कों की सफाई और शहर की दूसरी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में सफल नहीं हो सके। इस बिल के द्वारा कारपोरेशन की आर्थिक क्षमता बढ़ेगी, उस की आय के स्रोत बढ़ेंगे और वह अपने बजट को संतुलित कर सकेगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक कारपोरेशन को चलाने और राजधानी की नागरिक समस्याओं को हल करने का प्रश्न है हम को राजनैतिक या दलगत दृष्टिकोण से नहीं सोचना चाहिए, यह नहीं कहना चाहिए कि चूंकि इस समय जनसंघ के हाथों में कारपोरेशन की बागडोर है, इसलिए उस को पैसा नहीं दिया जा रहा है। इस तरह की दलील तो कहीं भी दी जा सकती है और इस तरह की दलीलों का कोई अन्त नहीं है। हमें इस प्रकार के प्रश्नों को राजनैतिक चश्मे से नहीं, बल्कि राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखना चाहिए।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह केवल दिल्ली का ही हक नहीं होना

चाहिए कि केन्द्र उस को अधिक से अधिक धन मुहैया करे। हिन्दुस्तान की अधिकांश जनता गांवों में बसती है, शहरों में नहीं। इस पार्लियामेंन्ट को यह कानून बनाना चाहिए कि देहात के पैसे से कुछ शहरों की सुख-समृद्धि को न बढ़ाया जाये। आज स्थिति यह है कि देहात के पैसे से कुछ शहर चमन हो रहे हैं और वहां के बड़े-बड़े लोग आनन्द और उल्लास से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वह मनोवृत्ति खत्म होनी चाहिए। शहरों के विकास के लिए शहरों की जनता से पैसा इकट्ठा किया जाना चाहिए। एक दिन आयेगा कि जब गांवों की जनता और किसान इस मांग को लेकर बगावत करेंगे कि उन के पैसे और दौलत गांवों के विकास के लिए व्यय की जानी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का हार्दिक समर्थन करता हूं। यह अत्यन्त आवश्यक है कि दिल्ली की समस्याओं को हल करने के लिए, यहां के प्रशासन को सुधारने के लिए, यहां की आम जनता की दिक्कतों को दूर करने के लिए, कारपोरेशन के अपनी आय के स्रोत ज्यादा से ज्यादा बढ़ने चाहिएं। केवल केन्द्र के भरोसे पर इस नगर के विकास की बात नहीं सोचनी चाहिए। इस समय कारपोरेशन को और वहां पर सब दलों को पार्टी के लेबल पर नहीं, बल्कि राष्ट्रीय दृष्टिकोण से काम करना चाहिये।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य, श्री बोहरा, ने जो कुछ कहा है, मैं चाहता हूं कि कांग्रेस के मन्त्री और कांग्रेस के नेतागण उस की ओर ध्यान दें। उन्होंने जो यह सीख दी है कि दिल्ली प्रशासन और कारपोरेशन के मामले में दलगत स्वार्थ न लाया जाये, वही हमारा कहना है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि सीख देना आसान है, उस पर अमल करना मुश्किल है। अगर कांग्रेस वाले इस पर अमल करना सीख लें, तो बहुत सी समस्यायें हल हो सकती हैं।

बीस सालों के कांग्रेस के राज के बाद दिल्ली का प्रशासन अप्रैल, 1967 में जनसंघ के हाथ में आया। इन बीस सालों में यहां बहुत से कांटे बोये गए। वे कांटे भी हमारे हिस्से में आये। इन बीस सालों में दिल्ली की आबादी बढ़ी, दिल्ली के खर्च बढ़े और दिल्ली की समस्यायें बढ़ीं। यहां के पहले प्रशासन ने ठीक ढंग से काम नहीं किया। हालांकि उस को ग्रान्ट्स भी अधिक मिलती थी, लेकिन जब उन्होंने हमारे हाथ में कारपोरेशन दी, तो उस में सात करोड़ रुपए का घाटा था। हम ने कोशिश की कि नए टैक्स लगाए बिना, पुराने टैक्सों को अच्छी तरह से इकट्ठा कर के, कुछ किफायत कर के, कम खर्च कर के, इसघाटे को पूरा किया जाए। लेकिन केन्द्र वाले लाठी ले कर हमारे पीछे पड़ गए कि नए टैक्स लगाओ; अगर नहीं लगाओगे, तो हम कारपोरेशन को ससपेंड कर देंगे। इस प्रकार के टैक्सों की योजना बनने लगी, जिन का बोझ छोटे आदमियों पर पड़ता था।

इस स्थिति में मजबूर हो कर हम ने कुछ पग उठाए। कमिश्नर का सुझाव यह था कि हम प्रापर्टी टैक्स 16 परसेंट कर दें। हमने कहा कि टैक्स इस ढंग से बढ़ाया जाये कि उस का बोझ कामन मैन पर, छोटे आदमियों पर, कम से कम पड़े और जो लोग उस को सह सकते हैं, उन्हीं पर वह बोझ डाला जाए।

मुझे दुःख है कि हमारे कम्युनिस्ट मेम्बरों ने इस का विरोध किया है। मैं समझता हूं कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और की लोकोक्ति ठीक बैठती है। यह कम्यूनिज्म या इन का सोशलिज्म केवल गरीब आदमियों को उल्लू बनाने के लिए, बुद्धू बनाने के लिए है। अन्यथा जो कुछ भारतीय जनसंघ ने दिल्ली में किया है, उस की सब से अधिक प्रशंसा, यदि ये वास्तव में समाजवादी हैं, समाज का हित चाहने वाले हैं, इन की ओर से होनी चाहिए। जनसंघ के कार्य-कलापों का विरोध कर के इन्होंने केवल यह सिद्ध किया है कि ये गरीब आदमी, कामन मैन, के साथी

[श्री बलराज मधोक]

नहीं हैं, ये गरीब के बल पर पलते हैं, गरीब का नाम लेते हैं, परन्तु सर्व करते हैं रूस या चीन को या बड़े-बड़े लोगों को। कामन मैन से इन का कोई सम्बन्ध नहीं है।

इस बिल में कहा गया है कि ग्रेजुएटिड ढंग से हाउस टैक्स बढ़ाने की इजाजत दी जाए। यह ऐसी बात है, जिस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। इसलिए हम उस का समर्थन करते हैं। परन्तु बेहतर होता, यदि एग्जेम्प्टेबल लिमिट को बढ़ा कर 250 रुपए कर दिया जाता। क्लाज 114 का सैकण्ड पार्ट इस प्रकार है :

"The Corporation may exempt from the general tax lands and buildings of which the rateable value does not exceed Rs. 100."

आज हालत यह है कि सौ रुपयों की कोई कीमत नहीं रही है। दिल्ली में कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। अगर एग्जेम्प्टेबल लिमिट को बढ़ा कर 250 रुपए कर दिया जाये, तो अधिक गरीब लोग इस छूट में आ जाते हैं। मैं मन्त्री महोदय को सुझाव देना चाहता हूं कि अब भी अगर एग्जेम्प्टेबल लिमिट को बढ़ा कर 250 रुपए कर दिया जाये, तो ज्यादा अच्छा होगा।

जहां तक साइकल टैक्स का प्रश्न है, हम ने उस को एक रुपए से कम कर के चार आने कर दिया है। यह कोई टैक्स नहीं है। हम चाहते हैं कि हम साइकल टैक्स को बिल्कुल माफ कर दें, क्योंकि दिल्ली गरीब और आम लोगों का शहर है, जिस में लाखों साइकल हैं, इसलिए उन पर चार आने का बोझ भी क्यों डाला जाये। लेकिन हम इस टैक्स को बिल्कुल माफ नहीं कर सकते, क्योंकि कानून इस की इजाजत नहीं देता है। मन्त्री महोदय इस बारे में एक्ट का एमेंडमैन्ट करें, ताकि हम साइकल टैक्स को बिल्कुल माफ कर सकें।

हमें अपने टैक्सेशन स्ट्रक्चर को इस प्रकार बनाना चाहिए, जिस से गरीब को राहतें मिले और जो लोग अधिक दे सकते हैं, हम उन को देने के लिए बाध्य कर सकें। हम ने कामर्शल हाउसिज और सिनेमा हाउसिज पर प्रापर्टी टैक्स की योजना बनाई है, ताकि जो दे सकते हैं, वे दें। मैं समझता हूं कि अगर केन्द्र का सहयोग रहे और कांग्रेस पार्टी का भी सहयोग रहे, तो इस तरह घाटे को पूरा कर सकते हैं। आखिर यह एक सिविक मामला है। दिल्ली शहर सब का है। अगर यह शहर उन्नत होगा, तो यहां पर जो कांग्रेसी या जनसंघी रहते हैं, उन सब का लाभ होगा। अगर वे सहयोग दें और इस बारे में दलगत भावना न लायें, तो हम करप्शन को बहुत कुछ कम कर सकते हैं, पुराने एरियर्ज को इकट्ठा कर सकते हैं और अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं।

17-00 Hrs.

आज दिल्ली की आबादी और फैलाव बहुत बढ़ गए हैं और उस के खर्चे भी बहुत बढ़ गए हैं। यहां पर डीयरनेस एलाउंस बार-बार बढ़ाया गया है। दिल्ली कारपोरेशन के पैंतीस हजार एम्पलाईज हैं। उन को सैंटर का डी० ए० मिलता है। पिछले पांच सात सालों में केन्द्र की गलत नीतियों के कारण कीमतें बढ़ गई और इस कारण डी० ए० भी बढ़ाना पड़ा। कारपोरेशन को केवल डी० ए० के रूप में तीन करोड़ रुपए अधिक खर्च करने पड़ते हैं। यहां पर शिक्षा आदि पर कुछ कमिटिड एक्सपेंडीचर भी है। मिडल और हायर सैकन्डरी शिक्षा दिल्ली प्रशासन के पास होनी चाहिए, लेकिन वह भी कुछ अंश में कारपोरेशन के पास है, जिस पर उस को खर्च करना पड़ता है। इस के अलावा उस को प्राइमरी शिक्षा पर भी खर्च करना पड़ता है, जिस पर शेयर केन्द्र को देना चाहिए। यह 1,40 लाख रुपया है, जो केन्द्र को देना चाहिए, लेकिन वह नहीं दे रहा है। फिर इस प्रकार यहां पर बहुत सी स्लम क्लीअरेंस की स्कीमें हैं जो डी०डी०ए० की हैं जो उन्होंने ट्रांसफर कर दी कारपोरेशन को और खर्चा दिया नहीं। इन स्कीमों पर कारपोरेशन को 70 लाख खर्चा करना पड़ रहा

है जिस के लिए कारपोरेशन जिम्मेदार नहीं जिस का खर्चा केन्द्रीय सरकार को या डी० डी० ए० को उठाना चाहिए। दिल्ली कारपोरेशन ऐक्ट जब बनाया गया तो बहुत से गांव उस में जोड़ दिए गए। उस को वहां से आमदनी कुछ नहीं परन्तु वहां पर खर्चा उसे करना पड़ता है। इस प्रकार 50 लाख रु० का खर्चा और बढ़ गया। सब मिला कर करीब साढ़े-पांच करोड़ रुपए का खर्चा कारपोरेशन का बढ़ गया। जो न्यू डेलही म्युनिसिपल कमेटी है उस को कारपोरेशन बल्क में पानी और बिजली वगैरह देता है। उस के लिए किराया उसे देना चाहिए लेकिन वह पूरा किराया नहीं देते हैं। इस से भी उसे घाटा होता है। इस प्रकार दिल्ली म्युनिसिपल कारपोरेशन सीरिअस हैंडीकैप में काम कर रहा है। उस को पांच-छः करोड़ का जो खर्चा मिलना चाहिए जो जायज खर्चा है जिस के लिए केन्द्र कमिटेड है देने को वह केन्द्र देता नहीं है। इतना ही नहीं, इसके अन्दर कुछ खर्चे ऐसे हैं कारपोरेशन के जैसे सड़कों का खर्चा है, एजूकेशन का खर्चा है उस के लिए मैचिंग ग्रान्ट मिलनी चाहिए। इसी प्रकार कारपोरेशन की कोई 2 करोड़ 30 लाख की स्कीमें हैं शिक्षा की और सड़कों इत्यादि की खास कर जिस की यहां बहुत ज्यादा चर्चा है ओवर ब्रिजेज की। दिल्ली आज बहुत बढ़ गया है और जगह-जगह रेलवे लाइनें सड़कों को काटती हैं। आप जायें रोहतक रोड पर, पटेल रोड पर, विनय नगर की ओर, जगह-जगह क्रासिंग है और वहां पर सुबह-शाम जब लाखों लोग जाते हैं गेट बन्द मिलते हैं और लाखों लोगों का कितना समय, मूल्यवान समय नष्ट होता है, कितनी और तकलीफ होती है, इसलिए सब से पहले आवश्यक है कि वहां पर ओवर ब्रिज बनाए जाए। अब ओवर ब्रिज बनाएगी रेलवे लेकिन उस की अप्रोच रोड बनानी है कारपोरेशन को। इसकी एक योजना बनी थी और सराय रुहैला पर, पटेल रोड पर ओवर ब्रिज बनाने के लिए फैसला हुआ था लेकिन इस बजट में हम देखते हैं कि वह सारा खर्चा काट दिया गया है। अब मैं केन्द्रीय सरकार से पूछना चाहता हूं कि अशोक होटल में रिवाल्विंग टावर के लिए 50 लाख रुपया निकाल सकते हैं लेकिन दिल्ली के लाखों लोगों को जो रोज घन्टों तकलीफ होती है रेलवे क्रासिंग पार करने के लिए उस के लिए कारपोरेशन अप्रोच रोड बना सके इस काम के लिए 50 लाख देने को आप तैयार नहीं हैं। यह सरकार का ऐटीच्यूड कितना ऐंटी सोशल है कितना ऐंटी पीपुल है, इस से बढ़ कर इस का और कोई सबूत नहीं हो सकता। इसलिए आवश्यकता यह है कि सरकार इन मामलों में कारपोरेशन को सहयोग दे और मिल कर कारपोरेशन डी० डी० ए० और सैंट्रल गवर्नमैन्ट दिल्ली की जो समस्या है उस को हल करने में लगे। हम ने कुछ समस्या हल करने की कोशिश की है। अभी एक भाई कह रहे थे स्कूलों के बारे में कि यहां के बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं। हम ने सात-आठ कालेजेज़ खोले और आज कोई पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाता है। अभी कुछ भाइयों ने झुग्गी-झोपड़ियों का सवाल उठाया। यह कारपोरेशन के अधिकार में नहीं है। इस की योजना बनाई जा रही है केन्द्र की ओर से। बहुत सारी केन्द्र की जमीन उस में है, रेलवे की जमीन है, डी०डी०ए० की जमीन है। गवर्नमैन्ट की जमीन है जिस के ऊपर स्क्वैटर बैठे हुए हैं। पहले तो जब यह स्क्वैटर बैठे तो यह उन का फर्ज था कि उन को वहां बैठने नहीं देते। लेकिन तब तो रेलवे ने या गवर्नमैन्ट ने उन को वहां बैठने दिया। अब वह जमीन उन को वापस चाहिए इसलिए उन को वहां से हटाया जा रहा है और दूसरी जगह बसाया जा रहा है। हम चाहते हैं कि उन को दूसरी जगह बसाने के पहले आप वहां पर नालियां बना लें, सड़कें बना लें। अभी आप सीमापुरी में ले गए जमुना के इलाके के लोगों को। मैं सीमापुरी परसों गया था। वहां पर सड़कें नहीं बनी हैं, नालियां नहीं बनीं हैं, मैं हैरान हूं कि किस तरह लोग

[श्री बलराज मधोक]

वहां बसाए गए हैं। क्या गवर्नमैन्ट यह नहीं देख सकती कि जहां लोग बसाये जाने वाले हैं वहां सड़कें पहले बना दी जाएं, नालियां बना दी जाएं और दूसरी सिविक एमेनिटीज़ प्रोवाइड कर दी जाए। यह काम डी०डी०ए० का है। आज हालत यह है कि सेंट्रल गवर्नमैन्ट कांग्रेस की है और कांग्रेस सरकार की नीति के मुताबिक यह झुग्गी-झोपड़ियां हटायी जा रही हैं, पब्लिक लैंड खाली किया जा रहा है और दिल्ली के अन्दर जो दिल्ली की कांग्रेस कमेटी है वह जाकर सत्याग्रह कर रही है, डिमांस्ट्रेशन कर रही है। आप इन से पूछिए यही हालत शिक्षकों के बारे में है, स्ट्राइक के बारे में है। केन्द्र वाले कहते हैं कि हम दे नहीं सकते और दिल्ली कांग्रेस वाले स्ट्राइक को बढ़ावा देते रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मोरैलिटी है यह ? क्या नैतिकता है यह ? यह क्या आप का डिसिप्लिन है ? अगर केन्द्र की एक नीति है और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की दूसरी नीति है, केन्द्र के नेता एक बात कहते हैं और दिल्ली कांग्रेस के लोग दूसरी बात कहते हैं तो इस की जिम्मेदारी जनसंघ पर तो आप नहीं डाल सकते।

इसलिए मैं आप से कहूंगा कि यह जो समस्याएं हैं दिल्ली की यह बहुत ही मुश्किल हैं। इन को मिल कर हम हल करें। आप भी बैठें, हम भी बैठें। इस के अन्दर किसी प्रकार की दलगत भावना न लायें। हम चाहते हैं कि सभी मामलों के अन्दर किसी भी प्रकार का पालिटिक्स न लाया जाय। दिल्ली देश की राजधानी है। इस विशाल देश के और महान् देश के अनुरूप ही इस को बनाया जाय। मैं नहीं चाहता कि दिल्ली पैरिस या लन्दन बने। यह आप चाहते होंगे। दिल्ली के जो आम आदमी हैं, छोटे आदमी हैं, उन की जो कठिनाइयां हैं, यातायात की, सड़कों की, मकानों का, उन को हल करने में सहयोग दीजिए। हम मिल कर काम करें ताकि उस के अन्दर सब को लाभ हो। उस के लिए हमें कुछ साधन चाहिए। हम वह साधन जुटाने का कुछ प्रयत्न कर रहे हैं। यह बिल उस में कुछ सहायक होगा। लेकिन इस के साथ साथ मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि थर्ड प्लान के अन्दर वह कार्पोरेशन की ग्रान्ट कुछ बढ़ाए ताकि यह जो समस्याएं हैं इन का हम मिल-जुल कर सही रूप में हल निकाल सकें। धन्यवाद।

श्री रा० स्व० विद्यार्थी (करोल बाग) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं, जो बिल सरकार लायी है उस का स्वागत करता हूं। मुझे दुख है कि इस पर चर्चा करते हुए माननीय सदस्यों ने ऐसी बातें कहीं जिस का कारपोरेशन के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। झुग्गी-झोंपड़ियों की स्कीम को काफी उछाला गया और कहा गया कि कार्पोरेशन इस में नाकामयाब साबित हुई है। अभी जैसा मेरे से पहले माननीय सदस्य बता रहे थे झुग्गी-झोंपड़ी की स्कीम से कार्पोरेशन का कोई सम्बन्ध नहीं है। होम मिनिस्ट्री के तहत एक कमेटी होम मिनिस्टर साहब ने बना रखी है जो उस की देख-रेख करती है और यह सीधा केन्द्र का काम है। कार्पोरेशन इस के बीच में नहीं आता। बसेज़ की बाबत बड़ी बात उछाली गई कि जब से दिल्ली कार्पोरेशन में भारतीय जनसंघ का अधिकार आया बसेज़ सरमायादारों को दे दी गई और इस तरह से उन के पैसे में और बढ़ोतरी करने की कोशिश भारतीय जनसंघ ने की। यह बिल्कुल एक सफेद झूठ है। मुझे दुख है यह कहते हुए कि जिस वक्त भारतीय जनसंघ प्रभुत्व में नहीं था तो हर प्राइवेट आपरेटर से 50 रुपया फी बस कांग्रेस फंड के लिए लिया जाता जाता था। वह उन्होंने माना। एक बस आपरेटर से 50 रुपये प्रति माह कांग्रेस फंड के लिए लिए जाते थे। वह हम ने चाहा कि उनसे कार्पोरेशन ले। शुरू में वह पैसा देने के लिए तैयार न थे। हम चाहते थे कि यहां यातायात की हालत सुधरे। और कोई रास्ता नहीं था। प्राइवेट आपरेटरों से कहा गया। यह हम को कहते हैं कि दलगत बातें नहीं आनी चाहिए। लेकिन उस उक्त

कुछ ऐसी बातें चलीं कि कांग्रेस पार्टी को जिस के लिए 50 रुपये फी बस थी आपरेटर से वह लेते थे, काफी बड़ी आमदनी थी, उन्हें एक धक्का लगा और उन्होंने उस में रुकावटें डालीं । प्राइवेट आपरेटरों को बहकाया गया । कहा गया कि 100 रुपये रोजाना हम एक बस के आपरेट के लिए लेंगे लेकिन जब यह चीज हमारे सामने आई, हम ने प्रयास किया, मद्रास गवर्नमेंट से मिले, यू० पी० गवर्नमेंट के पास गए और जब यह तय हो गया कि वह कम पैसे के ऊपर बस देने के लिए तैयार हैं उस वक्त फिर हम ने प्राइवेट आपरेटरों को बुलाया क्योंकि आखिर में वह दिल्ली में रहते हैं, उनका पहला हक है, उन से कहा कि आप इसके लिए तैयार हों तो बताएं लेकिन हम ने कहा कि हम एक पैसा देने के लिए तैयार नहीं हैं । आप यह बताएं कि आप कितना पैसा देंगे कार्पोरेशन को तब 25 रुपये रोजाना देने को तय हुआ और इस तरह से कार्पोरेशन जो है वह फायदे में रही और परिवहन के अन्दर सुविधा मिली । **(व्यवधान)** ..... मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस वक्त प्राइवेट आपरेटर्स को यह बसें नहीं दी गई थीं उस वक्त पैट्रोल का लीकेज एक महीने का 90 लाख के करीब था जो कि खत्म हो गया । अब लीकेज नहीं है पैट्रोल का । अब उन की जिम्मेदारी है । जैसी अभी बात आई थी, दलगत भावनाओं से यह सब चीजें चलती हैं और वह नहीं चाहते कि शहर का कुछ उद्धार हो, वह तो चाहते हैं कि पार्टी का कुछ लाभ हो । इसी बात को मद्देनजर रखते हुए सारी स्कीमें चलती थीं और उस के लिए जिस वक्त यह कुछ परिवर्तन लाने का प्रयास किया गया तो स्ट्राइक करवाने की कोशिश की गई । प्राइवेट आपरेटरों को बहकाया गया और इस तरह से और भी कई चीजें कांग्रेस की तरफ से हुई जो नहीं होनी चाहिए थीं ।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस वक्त भारतीय जनसंघ के सदस्य कार्पोरेशन में शपथ ले रहे थे उसी दिन 16 मार्च को अगर मैं गलती नहीं करता तो होम मिनिस्ट्री के अन्दर एक फाइल खोली गई सुपरसेशन आफ दि डेलही म्युनिसिपल कार्पोरेशन के लिए । तो उस वक्त तो जनसंघ ने कुछ किया नहीं था । बजट जो था वह दिल्ली कार्पोरेशन का था । लेकिन उस वक्त कांग्रेस ने कुछ किया नहीं ।

20 साल और 1958 से जब से कार्पोरेशन वजूद में आई है, कार्पोरेशन को केन्द्रीय सरकार ने काफी सहायता दी, लेकिन उस का सदुपयोग नहीं हो सका । जो भी बजट बनाया गया, वह आंकड़ों के हेर-फेर से बनाया गया, असली लौस को नहीं दिखाया गया । इस समय भी स्यूएज-बोर्ड को सैन्ट्रल गवर्नमेंट का पांच साढ़े पांच करोड़ रुपया लोन का देना है, जब भी उस को यह रुपया मिला, बजाय इस मद में उस रुपये को खर्च करने के, वे किसी और मद में उस रुपये को खर्च कर देते थे । इस तरह से जो रुपया सैन्ट्रल गवर्नमैन्ट की तरफ से आता था, उस में गोल-माल होता रहा और उस का ऐसे लोगों को फायदा मिलता रहा, जो कांग्रेस के हितैषी थे और जिनको कांग्रेस फायदा पहुंचाना चाहती थी । लेकिन भारतीय जनसंघ ने ऐसा कुछ नहीं किया ।

टैक्सेशन की बावत मेरे कम्यूनिस्ट भाइयों ने कहा कि इससे गरीब जनता का कचूमर निकल गया है । मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि हमारे सामने दो रास्ते थे— एक तरफ तो केन्द्र चाहता था कि किसी न किसी बहाने कार्पोरेशन को सस्पेन्ड किया जाय, दूसरी तरफ उन की यह डिमाण्ड थी कि टैक्स बढ़ाये जायें । अब या तो हम कार्पोरेशन को सस्पेन्ड होने देते और लोगों को सामने जा कर कहते कि हम नकारा हैं, नाअहल हैं, काम नहीं चला सकते और कांग्रेस को उनकी अपनी मर्जी करने देते और दूसरी तरफ यह था कि टैक्स बढ़ाते, लिहाजा कार्पोरेशन

[श्री रा० स्व० विद्यार्थी]

सब्सेन्ड न हो, इस चीज को ध्यान में रखते हुए और टैक्सेज को बढ़ाते हुए, हम ने कार्पोरेशन का जो बजट पेश किया है, अगर ईमानदारी से उस का अध्ययन करें, तो इस से अच्छा और बेहतर कार्पोरेशन का बजट कभी नहीं आ सकता था। हाउस टैक्स को ही ले लीजिये—जिसके लिये कि यह बिल आया है, 15 लाख ऐसे डवैलिंग-यूनिट्स हैं, जिनको 1 परसेन्ट की रियायत मिलेगी और जो टैक्स बढ़ा है वह सिर्फ 6,962 प्रापर्टीज पर बढ़ा है। मैं नहीं समझता कि जहां लाखों लोगों को फायदा हो और चन्द हजार लोगों पर टैक्स उस से मेरे कम्यूनिस्ट और सोशलिस्ट भाइयों को आपत्ति क्यों है ?

श्री इसहाक सम्भाली : बड़े लोगों से वसूल नहीं किया गया है।

श्री रा० स्व० विद्यार्थी : इस से पहले 11 परसेन्ट टैक्स हर एक प्रापर्टी पर था, एक आदमी जिसके मकान का किराया 15 रुपये था वह भी 11 परसेन्ट देता था और एक व्यक्ति जिसके मकान की आमदनी 1 लाख रुपये थी, वह भी 11 परसेन्ट देता था, हम नहीं चाहते थे कि इस ढंग का टैक्सेशन हो, इसलिये जिस व्यक्ति का 100 रु० से 1800 रु० तक का रेटेबिल वैल्यू का मकान है, उस का हाउस टैक्स कम किया गया है, 11 परसेन्ट से घटा कर 10 परसेन्ट किया गया है, इससे कार्पोरेशन को 15 लाख रुपये का घाटा हुआ। 1800 रु० से लेकर 8 हजार रुपये तक जिनकी रेटेबिल वैल्यू थी, उन पर कोई टैक्स नहीं बढ़ाया गया, 8 हजार से 12 हजार तक के मकानों पर 12½ परसेन्ट लगाया गया और इस तरह से जो एक लाख रुपये से ऊपर वाले मकान थे, उन पर 30 परसेन्ट लगाया गया—इस से ज्यादा लोगों का हित किस तरह से हो सकता है—यह मैं नहीं समझ सकता।

इन शब्दों के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का खेद है कि इस बहस में माननीय सदस्य श्री कंवर लाल गुप्त ने और एक-दो अन्य माननीय सदस्यों ने केन्द्रीय सरकार के ऊपर अवांछनीय और गलत आरोप लगाये हैं कि हम लोग दिल्ली नगर निगम को खराब नाम देकर या उस को बदनाम कर के सुपरसीड करना चाहते हैं या उसे मिटाना चाहते हैं। इस तरह के दिमागी फितूरों की दवा तो हमारे पास नहीं है। यह मामला पहले ही साफ कर दिया गया है कि इस तरह का कोई इरादा केन्द्रीय शासन का नहीं है। जिस समय हमारे पास इस के बारे में चिट्ठी आई, तो उसी वक्त अधिकृत रूप से इस का जवाब दे दिया गया था कि केन्द्रीय शासन का ऐसा कोई इरादा नहीं है। इतना होते हुए भी इस माननीय सदन में इस बात को कहा गया और जिम्मेदार सदस्य उस बात को बार-बार दोहरायें कि सरकार ऐसा करना चाहती है या करना चाहती थी या करने का इरादा था, तो इसे एक दुखद बात के सिवा और क्या कहा जाय।

जब मैंने इस बिल को सदन के सामने पेश किया हमारा इरादा बिल्कुल स्पष्ट था कि हम सच्चाई से दिल्ली नगर निगम की सहायता करना चाहते हैं, और जहां तक बन पड़ता है, उसके लिये प्रयत्न करते हैं, और हमारे द्वारा इस बिल को यहां लाना इस बात का नमूना है कि हम नगर निगम की सहायता करना चाहते हैं। यदि हमें नगर निगम की सहायता नहीं करनी होती तो जिस तरह का अध्यादेश लोक सभा के शुरू होने से कुछ ही दिन पहले हम लाये और उस के बाद जो विधेयक हम सामने लाये, उस के लाने की जरूरत न पड़ती, कई तरीके थे, जिस से हम उस को टाल

सकते थे, लेकिन जैसे ही यह मामला हमारे सामने आया, हम ने सोचा कि इस में देर नहीं होनी चाहिये, नगर निगम को 15 फरवरी से पहले अपने प्रस्ताव बनाने थे, यदि 15 फरवरी से पहले प्रस्ताव नहीं बनते तो एक साल के लिये मामला और टल जाता, इस लिये सदन की बैठक 13 फरवरी को शुरू हो रही थी, तभी हम ने 2-3 फरवरी को अध्यादेश जारी कर के इस तरह की शक्ति नगर-निगम को दी, जिस से कि वे अपनी आमदनी को बढ़ा सकें और अपना काम ठीक से चला सकें। यह सब होते हुए भी इस तरह के जो आरोप हम लोगों पर लगाये गये हैं, मैं समझता हूं कि काफी गैर जिम्मेदाराना बात है, गलत बात है, इस तरह की बात किसी भी माननीय सदस्य को नहीं करनी चाहिये थी ।

जहां तक अनुदान देने का सम्बन्ध है, मैं कहना चाहता हूं कि अनुदानों में कोई कमी नहीं की गई है । जो बजट प्रावीज़न किया गया है, वह केवल अन्तरिम बजट प्रावीज़न है । उस में यह बात साफ की गई है कि मोरारका कमीशन की सिफारिशें आने वाली हैं, जोकि हम उम्मीद करते हैं मई-जून तक हमारे सामने आ जायेंगी, उस को देख कर हम चाहते थे कि उस को बढ़ाते । यह बात कही गई है कि 77 लाख रुपया दिया गया है—मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मोरारका कमीशन की रिपोर्ट जब हमारे सामने आ जायगी, उस पर सोच-विचार कर के, तब हम पर्याप्त साधन निगम को देना चाहेंगे, क्योंकि हम इस चीज को राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखते हैं, हम इसको दिल्ली के नागरिकों की सुविधाओं की दृष्टि से देखते हैं ।

श्री बल राज मधोक : मैंने जो स्पेसिफिक बात कही है कि आप ओवर-ब्रिजेज के लिये दे सकते हैं, उस के लिये आप किस तरह से देने के लिए तैयार हैं ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैं उस पर भी आ रहा हूं । मैं आपसे कह रहा था कि बजट में जो प्रावीज़न किया गया है, उस के लिये माननीय सदस्यों को चिन्ता नहीं होनी चाहिये—मैंने उस के सम्बन्ध में बताया है कि सब से बड़ी बात यह है कि हमें नगर निगम का पूरा आर्थिक ढांचा करना ठीक है। उसके लिए एक एन्क्वायरी कमीशन बैठा हुआ है, उस की रिपोर्ट कुछ ही महीनों में आने वाली है, उस का इन्तजार किये बिना हम ऐसा कर दें कि बाद में रिपोर्ट के अनुसार एडजस्टमैन्ट की गुंजाइश न रहे, यह उचित नहीं है । इस लिये हम ने अन्तरिम प्रावीज़न इस साल के बजट में किया है ।

जहां तक रेलवे ओवर ब्रिजेज का सवाल है, आपको याद होगा इस के बारे में एक बड़ी भारी मीटिंग गृह मंत्री महोदय ने बुलाई थी, उस में रेलवे मंत्री जी भी आये थे, और भी बहुत से लोग आये थे और इस बात की कोशिश की गई कि किसी तरह से हम इस में इतना पैसा दे सकें कि जहां ओवर-ब्रिजेज की आवश्यकता है, वे बन सकें । इसके लिये गृह मंत्रालय की तरफ से काफी जोर लगाया गया, यह आप सब जानते हैं, लेकिन इस समय हमारे देश की जो वित्तीय स्थिति है, जिस तरह का बजट इस समय हमारे सामने आया है उस में यह बात नहीं पाई गई कि पचास-साठ लाख रुपया एक साथ इस में लगाया जाय । इस लिये इस साल 17 लाख रुपये का प्रावधान इस काम के लिये किया गया है । इस से शुरूआत हो सकती है और मुझे उम्मीद है कि यह काम जल्दी ही दिल्ली में पूरा हो जायगा । यह हमारी खुद की इच्छा है, भारत सरकार की इच्छा है, गृह मंत्रालय की इच्छा है, कि ये जो तकलीफें यहां के नागरिकों को हो रही हैं, ये जल्दी से जल्द दूर की जायं और इस के लिये यह प्रावीज़न हम लोगों ने किया है ।

[श्री विद्या चरण शुक्ल

जहां तक मेअर-इन-काउन्सिल बिल का सवाल है, मुझे आश्चर्य हुआ कि कैसे गुप्ता जी ने, जो कि एक जिम्मेदार सदस्य हैं इस तरह की गैर जिम्मेदारी की बात कही कि हम जान-बूझ कर इसमें देर कर रहे हैं। उन्होंने यह बात स्वयं ही कही कि पिछली लोक सभा में यह बिल आया था, लेकिन लैप्स हो गया, पास नहीं हो पाया, आप कारण जानते हैं, किस तरह से ऐसी बातें हुईं। उस के बाद मैट्रोपोलिटन काउन्सिल बनी, यह बिल मैट्रोपोलिटन काउन्सिल के पास कानून जाना था, इसलिये वहां भेजा गया, जहां पर माननीय सदस्य का जो राजनैतिक दल है, उन का बहुमत है, वहां यह बहुत दिन पड़ा रहा। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि अभी 20-25 दिन पहले गृह मंत्रालय में इन लोगों के पास यह बिल आया है और जो उन की प्रोसीडिंग्ज हैं—बहस आदि की, वह 10 दिन पहले आई हैं।

बहुत से संशोधन उस के ऊपर मैट्रोपोलिटन कौंसिल ने सुझाये हैं। उन संशोधनों के ऊपर हमें गम्भीरतापूर्वक विचार करना पड़ेगा और जहां तक हो सकेगा यदि वह स्कीम जो विधेयक की स्कीम है, योजना है उसमें यदि वह जमते हैं तो हम जमाने की कोशिश करेंगे। सोच विचार करके हम अपनी तरफ से उस को जल्दी से जल्दी काम में लाना चाहते हैं। यह कहना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि चूंकि दिल्ली में जनसंघ का प्रशासन है इसलिए हम जानबूझ कर देर कर रहे हैं। यह बात गलत है। इस तरह की बातें करनी माननीय सदस्य को शोभा नहीं देतीं। मैं उम्मीद करूंगा कि भविष्य में जब इस तरीके की बातें सामने आयें तो कम से कम इस तरीके की जो संकीर्ण दलीय राजनीति है उस से ऊपर उठ कर वह यहां की नागरिक समस्याओं के ऊपर अपने विचार हम लोगों के सामने पेश करें।

श्री लोबो प्रभु ने एक, दो छोटे, मोटे सवाल सामने उठाये। उन्होंने यह पूछा कि जब लोकसभा का अधिवेशन शुरू होने वाला था तो हम लोगों ने यह अध्यादेश क्यों पास किया? इस के बारे में मैंने एक वक्तव्य कुछ दिन पहले लोकसभा में दिया था जिसमें मैंने बतलाया था कि चूंकि 15 फरवरी के पहले नगर निगम को अपने प्रस्ताव तैयार करने थे और यदि हम इस अध्यादेश को जारी नहीं करते तो निगम यह प्रस्ताव तैयार करके अपना काम पूरा नहीं कर सकता था और इस से एक साल का नुकसान हो जाता। इसलिए हम ने यह अध्यादेश जारी किया जिससे कि नगर निगम इस चीज का फायदा इसी वित्तीय वर्ष में उठा सके।

उपाध्यक्ष महोदय, और भी दूसरी बातें माननीय सदस्यों ने कहीं। उन में खास बात टैक्स के बारे में थी। अब जहां तक टैक्स का सवाल है तो यह निगम को देखना है कि कितना उस में खर्चा करना है और किस तरीके से कितना टैक्स वसूल करना है? जहां तक प्लानिंग ग्रान्ट्स का सवाल है उस में कोई कमी नहीं की गई है। प्लानिंग ग्रांट जैसे की तैसी रहेगी उसमें कोई कम करने का सवाल नहीं है।

श्री कंवरलाल गुप्त : पहले आप 100 परसेंट देते थे अब 66 परसेंट क्यों देते हैं?

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैं आप को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि किसी भी तरीके से अथवा राजनीतिक विचारधाराओं के कारण नगर निगम के साथ कोई किसी तरीके का पक्षपात या उसकी खिलाफत नहीं की जायगी।

श्री कंवरलाल गुप्त : बर्ताव भी तो करिये।

श्री विद्या चरण शुक्ल : बर्ताव भी अभी अच्छे तरीके से किया गया है और मैं समझता हूं कि जनसंघ के कार्पोरेशन में सत्ता में आने के बाद हम लोग अपेक्षाकृत

कार्पोरेशन को ज्यादा सुविधाएं देते हैं और जैसे भी हो खुश रखने की कोशिश करते हैं ।

श्री कंवरलाल गुप्त : 100 परसेंट से 66 परसेंट क्यों कर दिया है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : दरअसल बात यह है कि हमारे उन माननीय सदस्यों को विरोधी बैंचों में बैठ कर इस तरह की बातें कहने की एक आदत सी हो गई है और इसी कारण हम देख रहे हैं कि उनके दिल्ली प्रशासन में शासक दल के रूप में आने के बाद भी इस तरह की बातें वे यहां पर कहते हैं ।

श्री बल राज मधोक : हम लोग मंत्री महोदय से इस समय स्पैसिफिक सवाल पूछ रहे हैं और हम चाहेंगे कि वह इस तरह से एक जनरल बात कह कर उस सवाल को टाल न जायं । अगर उन के पास उस हमारे सवाल का जवाब हो तो स्पैसिफिक जवाब दें वरना कह दें कि उसका जवाब नहीं है ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : सरकार के पास हर स्पैसिफिक बात का जवाब है और वह जवाब देती रहती है ।

श्री कंवरलाल गुप्त : हमें बतलाया जाय कि वह 66 परसेंट क्यों कर दिया गया ? .

श्री विद्या चरण शुक्ल : कम नहीं किया गया है । माननीय सदस्य रेकार्ड में देख लें कुछ कम नहीं किया गया है ।

श्री कंवरलाल गुप्त : क्या 66 परसेंट आपने नहीं किया है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : जहां तक मैं समझता हूं उस में कोई कमी नहीं की गई है ।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सिलसिले में एक खास बात मैं अपने माननीय मित्रों को कहना चाहता हूं कि वह इस बात को भूल जायें कि केन्द्रीय सरकार कांग्रेस की है या दिल्ली कार्पोरेशन जनसंघ का है । यहां कोई प्रतियोगिता दिल्ली नगर निगम और भारतीय सरकार के बीच में नहीं है और हम लोगों में से कोई यह नहीं चाहता कि नगर निगम को यहां तोड़ करके दिल्ली के नागरिकों को तकलीफ पहुंचा करके यहां जनसंघ को बदनाम करने की इस तरीके की क्षुद्र मनोवृत्ति हम अपनायें और न ही आप को कोई संदेह करना चाहिये । मैं आपको, माननीय सदन को और खास करके गुप्ता जी को आश्वासन देना चाहता हूं कि जब कभी इस तरीके की कोई बात आप के ध्यान में आये तो हमें वह अवश्य बतलायें । यदि कभी गलती से किसी से कहीं कोई बात हो जाती है तो हम उस को ठीक करने के लिए तैयार हैं । अभी तक कोई ऐसी बात नहीं हुई है । यदि कोई इस तरह की बात होने की आशंका हो तो हम उस को दूर करने के लिए तैयार हैं । मैं आप से अन्त में यह कहूंगा कि इस प्रश्न को जरा भी राजनीतिक दृष्टिकोण से न देखें । यह नागरिकों की सुविधा का प्रश्न है, दिल्ली निवासियों के सुख-सुविधा का प्रश्न है और दिल्ली के विकास का प्रश्न है । हम इस दृष्टि से इस चीज को देखते हैं, यह जनसंघ और कांग्रेस की दृष्टि से नहीं देखते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय सदस्य भी उसी दृष्टि से इस प्रश्न को देखेंगे और हम लोगों के साथ पूर्ण सहयोग करेंगे ।

श्री बल राज मधोक : क्या मैं यह अपेक्षा करूं कि आप कारपोरेशन में जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं उन को भी प्रेरणा देंगे कि वह इस प्रकार का रवैय्या वहां पर अपनायें ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैं भारत सरकार की तरफ से बोल रहा हूं कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा हूं ।

श्री कंवरलाल गुप्त : कार्पोरेशन में आप की कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कहा था कि हम कमिश्नर को नहीं रहने देंगे तो क्या आप अपनी पार्टी को इस तरह का कोई डायरेक्शन देंगे कि वह ठीक से वहां पर व्यवहार करें ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैं कोई पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा हूं बल्कि मैं भारत सरकार की तरफ से बोल रहा हूं ।

MR. DEPUTY SPEAKER : The question is :

"That the Bill further to amend the Delhi Municipal Corporation Act, 1957, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY SPEAKER: Now we take up Clause 2. There is an amendment by Shri Salve. He is not present. So it is not moved. There is also another amendment by the same Member. As he is not present they are not moved. The question is :

"That clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 *was added to the Bill.*

Clause 3, *Clause* 1, *the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: I beg to move :

"That the Bill be passed."

MR. DEPUTY SPEAKER : Motion moved:

"That the Bill be passed."

SHRI SONAVANE (Pandharpur): Sir, I would like to take this opportunity for congratulating the Hon. Minister for providing a good opportunity to the Delhi Corporation and coming to their aid in passing an ordinance and to get them out of the predicament of the Jan Sangh party which is the ruling party in the Metropolitan Council. I intervened earlier and said that they should be thankful to the Government, but instead of doing that, they started abusing and attributing motives which was not a very healthy sign.

Now, looking to their record of about ten months and the way the buses are being run, I think, it does not give them any credit, even the slightest credit. In the buses people are herded like sheep. The passengers have to go on hanging and travel in the buses in such a pitiable condition. I don't know whether Shri Madhok has travelled in the buses in this condition....

SHRI BAL RAJ MADHOK . The position is better today. You should compare the position today with the position a year back.

SHRI SONAVANE: Today it is worse. I have travelled before also. It was very much better earlier than what it is today. This state of affairs is going on right under the noses of these Jan Sangh people who are sitting there. If any Member of Parliament tries to ride in these buses from here and returns back, I will pay Rs. 5 to him for returning safely. (*Interruptions.*) Since they came into power I have never tried to travel by that bus. I have never tried to travel because the sight of the travelling passengers in the buses is very very bad. And now, Sir, let them take advantage of this Bill. Let them raise their taxes and take out money from the rich people. They were saying that the rateable value should be increased from Rs. 100 to Rs. 250. But those people who pay Rs. 100 are sufficiently rich. My hon. friend Shri Madhok should not say that they are poor. The tactics of the Jan Sangh is this, that they don't want to incur the displeasure of the rich people because they are their supporters.

SHRI BAL RAJ MADHOK: Rs. 100 is the rateable value in one year. If there is a man who pays Rs. 100 in one year and if you call him rich then I doubt who is poor.

SHRI SONAVANE : If Shri Madhok cares to see a poor man, I think he will find one. What all they want is this. They want cheap popularity.

By not raising taxes, they want only to draw upon the Reserve Fund of the Government of India. Therfore, let

them take the tax and then try to improve the lot of the people and try to improve first the running of the buses which is a sign of their inefficiency as clear as day-light.

Mr. DEPUTY SPEAKER : The question is :

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

17.31 Hrs.

JAMMU AND KASHMIR REPRESENTATION OF THE PEOPLE (SUPPLEMENTARY) BILL

MR. DEPUTY SPEAKER: We shall now take up the consideration of the Jammu and Kashmir Representation of the People (Supplementary) Bill.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LAW (SHRI M. YUNUS SALEEM) : Mr. Deputy speaker, Sir, on behalf of Shri Govinda Menon, I beg to move :

"That the Bill to supplement the Jammu and Kashmir Representation of the People Act, 1957 be taken into consideration."

Sir, the Representation of the People Act of 1951 was suitably amended by an Act, 47 of 1966, and one of the important changes which were introduced by that amendment was that the election tribunals were abolished and the jurisdiction of trying the election petitions was given to the High Court and against the order of the High Court, an appeal was provided to the Supreme Court.

So far as the question of election to the House of the People was concerned, in Jammu and Kashmir also, the Representation of the People Act of 1951 was applicable. But regarding the Assembly elections, the Jammu and Kashmir Representation of the People Act of 1957 was enforced and after the amendment of 1966 in the Representation of the People Act of 1951 was introduced, the Jammu and Kashmir Representation of the People Act was also amended by the Jammu and Kashmir Government and the amendment was passed by the Legislature of the State of Jammu and Kashmir with a view to incorporating such of the changes in the Jammu and Kashmir Representation of the People Act, 1957, as were incorporated in the Representation of the People Act of 1951.

17.34 HRS.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

This amendment was introduced with a view to putting the State of Jammu and Kashmir on the same footing as the rest of India in the matter of law relating to elections. One of the important changes to effect the Jammu and Kashmir Representation of the People Act was that the provision was made for an appeal to the Supreme Court against the orders of the Jammu and Kashmir High Court in respect of election petitions. Just as under the amendment of 1966 appeals were provided to the Supreme Court against the orders of other High Courts similarly, the appeals were provided against the orders of the Jammu and Kashmir High Court to the Supreme Court. But, incidentally, to provide an appeal to the Supreme Court was beyond the competence of the Legislature of the State of Jammu and Kashmir because it is within the purview of this House, the Parliament, to enlarge the jurisdiction of the Supreme Court. Therefore, in order to meet this situation which was created by the above provisions of the Jammu and Kashmir Representation of the People Act of 1957, Entry 72 of the Union List in the Seventh Schedule to the Constitution was extended and for this purpose a Presidential Order was issued on 9th February, 1968 under article 370 of the Constitution. The extension of the entry with suitable modification was, by itself, not sufficient because an enactment by the Parliament was necessary. When this change took place, the Parliament was not in session and, therefore, in order to meet the situation, an Ordinance called the Jammu & Kashmir Representation of the People Supplementary Ordinance of 1968 was promulgated by the President. The Jammu and Kashmir Representation of the People (Supplementary) Bill seeks to replace the Ordinance and when enacted, would confer jurisdiction on the